एडिटोरियल

(संग्रह)

जुलाई भाग-1

2021

दृष्टि, 641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009
फोन: 8750187501
ई-मेल: online@groupdrishti.com

अनुक्रम

संवैधानिक/प्रशासनिक घटनाक्रम **5**

- अखिल भारतीय न्यायिक सेवा 5
- संघवाद से संबंधित नई चुनौतियाँ 6
- कॉलेजियम प्रणाली और लोकतंत्र 8

आर्थिक घटनाक्रम **11**

- स्किलिंग इंडिया 11
- किसान उत्पादक संगठनों का सुदृढ़ीकरण 12
- सतत् गन्ना उद्योग 14
- विकास से अधिक महत्त्वपूर्ण है आय का स्तर! 15

अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम **18**

- अमेरिका की वापसी और क्षेत्रीय गतिशीलता 18

नोट :

दृष्टि The Vision

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी **20**

➢ शैक्षिक तकनीक (Ed-Tech) 20

➢ स्पेसकॉम 22

भूगोल एवं आपदा प्रबंधन **24**

➢ मानसून परिवर्तन और कृषि 24

सामाजिक न्याय **26**

➢ भारत में दहेज प्रथा 26

➢ युवाओं की क्षमता का दोहन 27

नोट :

नोट :

संवैधानिक/प्रशासनिक घटनाक्रम

अखिल भारतीय न्यायिक सेवा

भारत सरकार ने हाल ही में एक प्रवेश परीक्षा के माध्यम से अधीनस्थ न्यायालयों हेतु अधिकारियों की भर्ती के लिये अखिल भारतीय न्यायिक सेवा (AIJS) स्थापित करने हेतु एक विधेयक पारित करने का प्रस्ताव दिया है।

स्वतंत्रता के तुरंत बाद भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा की तर्ज पर एक अखिल भारतीय न्यायिक सेवा (AIJS) का प्रावधान किया गया था।

वर्तमान में AIJS का विचार न्यायिक सुधारों की पृष्ठभूमि में प्रस्तावित किया जा रहा है, जो कि विशेष रूप से न्यायपालिका में रिक्त पदों और लंबित मामलों की जाँच से संबंधित है। AIJS की स्थापना एक सकारात्मक कदम है, लेकिन इसे कई संवैधानिक और कानूनी बाधाओं का सामना करना पड़ता है।

AIJS के लिये संवैधानिक परिप्रेक्ष्य

- AIJS को पहली बार वर्ष 1958 में विधि आयोग की 14वीं रिपोर्ट द्वारा प्रस्तावित किया गया था।
- वर्ष 1976 में 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा अनुच्छेद 312 (1) में संशोधन करके संसद को एक या एक से अधिक अखिल भारतीय सेवाओं के निर्माण के लिये कानून बनाने का अधिकार दिया, जिसमें AIJS भी शामिल है, जो संघ और राज्यों दोनों के लिये समान है।
- अनुच्छेद 312 के तहत, राज्यसभा को अपने उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम-से-कम दो-तिहाई सदस्यों द्वारा समर्थित एक प्रस्ताव पारित करना आवश्यक है। इसके बाद संसद को AIJS बनाने के लिये एक कानून बनाना होगा।
  - इसका अर्थ है कि AIJS की स्थापना के लिये किसी संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता नहीं होगी।
- भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भी 'अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ बनाम भारत संघ' मामले (1993) में इसका समर्थन करते हुए कहा कि AIJS की स्थापना की जानी चाहिये।

AIJS के लाभ:

- जनसंख्या अनुपात के अनुसार न्यायाधीशों की संख्या: एक विधि आयोग की रिपोर्ट (वर्ष 1987) में सिफारिश की गई थी कि भारत में प्रति मिलियन जनसंख्या पर 10.50 न्यायाधीशों (तत्कालीन) की तुलना में 50 न्यायाधीश होने चाहिये।
  - वर्तमान स्वीकृत शक्ति के मामले में यह आँकड़ा 20 न्यायाधीशों को पार कर गया है, लेकिन यह अमेरिका या यूके की तुलना में (क्रमशः 107 और 51 न्यायाधीश प्रति मिलियन लोग) बहुत कम है।
  - इस प्रकार AIJS न्यायिक क्षेत्र में अंतर्निहित अंतर को पाटने की परिकल्पना करता है।
- समाज के सीमांत वर्गों का उच्च प्रतिनिधित्व: सरकार के अनुसार AIJS समाज के हाशिए पर स्थित और वंचित वर्गों के समान प्रतिनिधित्व के लिये एक आदर्श समाधान है।
- प्रतिभा को आकर्षित करना: सरकार का मानना है कि अगर इस तरह की सेवा सामने आती है, तो इससे प्रतिभाशाली लोगों का एक पूल बनाने में मदद मिलेगी जो बाद में उच्च न्यायपालिका का हिस्सा बन सकते हैं।
- 'बॉटम-अप' दृष्टिकोण: भर्ती में 'बॉटम-अप' दृष्टिकोण निचली न्यायपालिका में भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद जैसे मुद्दों से भी निपटने में सहायक होगा। यह समाज के निचले स्तरों में न्याय व्यवस्था की गुणवत्ता में सुधार करेगा।

संबंधित चुनौतियाँ:

- अनुच्छेद 233 और 312 के बीच द्विभाजः अनुच्छेद 233 के अनुसार अधीनस्थ न्यायपालिका में भर्ती राज्य का विशेषाधिकार है।
  - इसके कारण कई राज्यों और उच्च न्यायालयों ने इस विचार का विरोध किया है कि यह संघवाद के खिलाफ है।

The Vision

नोट :

- यदि इस तरह के नियम बनाने और ज़िला न्यायाधीशों की नियुक्ति को नियंत्रित करने की राज्यों की मौलिक शक्ति छीन ली जाती है, तो यह संघवाद के सिद्धांत और बुनियादी संरचना सिद्धांत के खिलाफ हो सकता है।

नोट:

- संविधान के अनुच्छेद 233 (1) में कहा गया है कि "किसी राज्य में ज़िला न्यायाधीश नियुक्त होने वाले व्यक्तियों की नियुक्ति तथा ज़िला न्यायाधीश की पदस्थापना और प्रोन्नति उस राज्य का राज्यपाल ऐसे राज्य के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय से परामर्श करके करेगा।"
- भाषायी बाधा: चूंकि निचली अदालतों में मामलों की बहस स्थानीय भाषाओं में होती है, इसलिये इस बात की आशंका है कि उत्तर भारत का कोई व्यक्ति दक्षिणी राज्य में सुनवाई कैसे कर सकता है।
  - इस प्रकार AIJS के संबंध में एक और मूलभूत चिंता भाषा की बाधा है।
- संवैधानिक सीमा: अनुच्छेद 312 का खंड 3 एक प्रतिबंध लगाता है कि AIJS में ज़िला न्यायाधीश के पद से कम पद शामिल नहीं होगा।
  - इस प्रकार AIJS के माध्यम से अधीनस्थ न्यायपालिका की नियुक्ति को संवैधानिक बाधा का सामना करना पड़ सकता है।
- उच्च न्यायालय के प्रशासनिक नियंत्रण को कमज़ोर करना: AIJS के निर्माण से अधीनस्थ न्यायपालिका पर उच्च न्यायालयों के नियंत्रण का क्षरण होगा, जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता को प्रभावित कर सकता है।

निष्कर्ष:

लंबित मामलों की दुर्गम संख्या एक भर्ती प्रणाली की स्थापना की मांग करती है जो मामलों के त्वरित निपटान के लिये बड़ी संख्या में कुशल न्यायाधीशों की भर्ती करे। हालाँकि AIJS के विधायी ढाँचे में आने से पहले सर्वसम्मति बनाने और AIJS की दिशा में एक निर्णायक कदम उठाने की आवश्यकता है।

संघवाद से संबंधित नई चुनौतियाँ

संघवाद शासन की कई संघटक इकाइयों के बीच साझा संप्रभुता और क्षेत्रीयता में विश्वास करता है। भारत में संघवाद भारत की विभिन्न भाषायी, धार्मिक और जातीय पहचानों को समायोजित करने का एक उपकरण है।

वर्तमान में दुनिया के विभिन्न हिस्सों में कोविड-19 महामारी के कारण सरकार की संघीय प्रणाली मुसीबतों का सामना कर रही है। हालाँकि महामारी से बहुत पहले से ही भारत में संघीय सिद्धांतों पर लचीले संघवाद की राजनीतिक संस्कृति का सह-निर्माण करने का दबाव रहा है।

प्राय: केंद्र और राज्य अक्सर टीके, वस्तु और सेवा कर (जीएसटी), मुख्य सचिव की नियुक्ति तथा कई अन्य मुद्दों पर परस्पर विरोधी रुख अपनाते रहे हैं। इस बढ़ते तनाव को तीसरे मोर्चे की सरकार (कई क्षेत्रीय दलों के गठबंधन से बनी केंद्र सरकार) के फिर से उभरने की संभावना के रूप में भी देखा जा सकता है।

हालाँकि भारत में संघवाद की हमेशा की तरह अपनी राजनीतिक प्रासंगिकता है जिसे संरक्षित करने की आवश्यकता है।

संघवाद से संबंधित प्रावधान:

- राष्ट्रों को 'संघीय' या 'एकात्मक' के रूप में वर्णित किया जाता है जिसके तहत शासन का क्रियान्वयन किया जाता है।
- 'संघवाद' का अनिवार्य रूप से अर्थ है कि केंद्र एवं राज्यों दोनों को एक दूसरे के साथ समन्वय से अपने आवंटित क्षेत्रों में कार्य करने की स्वतंत्रता है।
- 'एकात्मक' प्रणाली में सरकार की सभी शक्तियाँ केंद्र सरकार में केंद्रीकृत होती हैं।
- पश्चिम बंगाल राज्य बनाम भारत संघ (1962) में उच्चतम न्यायालय ने माना कि भारतीय संविधान संघीय नहीं है।
- हालाँकि एस आर बोम्मई बनाम भारत संघ (1994) में उच्चतम न्यायालय के 9 न्यायाधीशों की पीठ ने संघवाद को भारतीय संविधान की मूल संरचना का एक हिस्सा माना है।
- इसमें कहा गया है कि सातवीं अनुसूची में न तो विधायी प्रविष्टियाँ हैं और न ही संघ द्वारा राजकोषीय नियंत्रण जो संविधान के एकात्मक होने का निर्णायक है। राज्यों एवं केंद्र की संबंधित विधायी शक्तियों का अनुच्छेद 245 से 254 तक अनुरेखण किया जा सकता है।

- उच्चतम न्यायालय ने देखा कि भारतीय संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका से काफी भिन्न है। भारतीय संसद के पास नए राज्यों के प्रवेश की अनुमति देने (अनुच्छेद 2), नए राज्य बनाने, उनकी सीमाओं एवं उनके नामों में परिवर्तन करने और राज्यों को मिलाने या विभाजित करने की शक्ति है (अनुच्छेद 3)।
- हाल ही में जम्मू एवं कश्मीर राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में परिवर्तित किया गया- जम्मू एवं कश्मीर व लद्दाख।
- राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के गठन एवं उनके निर्माण के लिये राज्यों की सहमति की आवश्यकता नहीं है।
- इसके अलावा उच्चतम न्यायालय ने संविधान के कई प्रावधानों की मौजूदगी पर ध्यान दिया जो केंद्र को राज्यों की शक्तियों को अधिभावी या रद्द करने की अनुमति देते हैं जैसे- समवर्ती सूची के विषय पर कानून बनाना।
- भले ही राज्य अपने निर्धारित विधायी क्षेत्र में संप्रभु हैं और उनकी कार्यकारी शक्ति उनकी विधायी शक्तियों के साथ सह-व्यापक हैं किंतु यह स्पष्ट है कि राज्यों की शक्तियों का संघ के साथ समन्वय नहीं है। यही कारण है कि भारतीय संविधान को अक्सर 'अर्द्ध-संघीय' रूप में वर्णित किया जाता है।

भारत में संघवाद के लिये नई चुनौतियाँ

- संघवाद और विकास : देश के विकास में तेज़ी लाने के लिये भारत सरकार ने कई योजनाएँ और दृष्टिकोण प्रस्तावित किये हैं जो संघीय सिद्धांत को कमज़ोर कर सकते हैं।
  - उदाहरण के लिये 'एक राष्ट्र, एक बाज़ार'; 'एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड'; 'एक राष्ट्र, एक ग्रिड' जैसे विकासात्मक आख्यान।
- राज्यों को कमज़ोर करना: वर्ष 2019 में जम्मू-कश्मीर को एक पूर्ण राज्य से केंद्रशासित प्रदेश में परिवर्तित करना या हाल ही में दिल्ली के एनसीटी (संशोधन) अधिनियम, 2021 की अधिसूचना केंद्र सरकार की केंद्रीकरण प्रवृत्तियों को दर्शाती है।
  - इसी तरह केंद्र सरकार ने महामारी से निपटने के लिये शक्तियों को केंद्रीकृत करते हुए महामारी रोग अधिनियम और आपदा प्रबंधन अधिनियम लागू किया था।
  - हालाँकि केंद्र द्वारा दिये गए इस विधायी जनादेश हेतु केंद्र को राज्य से परामर्श करना चाहिये किंतु केंद्र द्वारा राज्यों को बाध्यकारी कोविड-19 दिशा-निर्देश जारी किये गए हैं।
- अंतर-राज्यीय विचलन/असमानता: अमीर (दक्षिणी और पश्चिमी) और गरीब राज्यों (उत्तरी एवं पूर्वी) के बीच बढ़ता अंतर अंतर-राज्यीय संबंधों में तनाव का एक महत्त्वपूर्ण स्रोत बना हुआ है जो राज्यों के बीच सामूहिक कार्रवाई के लिये एक वास्तविक बाधा बन सकता है।
  - इसने एक ऐसा संदर्भ तैयार किया है जहाँ राज्यों के बीच सामूहिक कार्रवाई करनी कठिन हो जाती है क्योंकि भारत के गरीब क्षेत्र अर्थव्यवस्था में बहुत कम योगदान करते हैं लेकिन उन्हें अपनी आर्थिक कमज़ोरियों को दूर करने के लिये अधिक वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता होती है।
- साइलेंट फिस्कल क्राइसिस: भारत की समिष्टि-राजकोषीय स्थिति की वास्तविकताएँ राज्य की वित्त संबंधी नाजुकता को बढ़ा रही हैं।
  - कमज़ोर राजकोषीय प्रबंधन ने केंद्र सरकार को उस कगार पर ला खड़ा किया है जिसे अर्थशास्त्री रथिन रॉय ने मौन राजकोषीय संकट कहा है।
  - इस संदर्भ में संघ की प्रतिक्रिया सेस बढ़ाकर राज्यों के राजस्व कम करने की रही है।

आगे की राह

- अंतर-राज्य मंच: एक अंतर-राज्य मंच जो राज्यों को राजकोषीय संघवाद के मामलों पर नियमित बातचीत के लिये एक साथ लाता है, विश्वास और एक आम एजेंडा बनाने के लिये शुरुआती बिंदु हो सकता है।
  - इस संदर्भ में अंतर्राज्यीय परिषद को पुनर्जीवित किया जा सकता है।
  - उदारीकरण के बाद से आर्थिक विकास प्रक्षेप वक्र बढ़ते स्थानिक विचलन की विशेषता है।
- एफआरबीएम मानदंडों में ढील: राज्यों द्वारा बाज़ार उधारी के संबंध में एफआरबीएम अधिनियम द्वारा लगाई गई सीमाओं में ढील सही दिशा में एक कदम होगा।
  - हालाँकि केंद्र सरकार द्वारा संप्रभु गारंटी के माध्यम से इन उधारों का समर्थन किया जा सकता है।

- इसके अलावा केंद्र सरकार राज्यों को धन मुहैया करा सकती है ताकि वे राज्य स्तर पर संकट से निपटने के लिये आवश्यक कार्रवाई कर सकें।

- राजनीतिक इच्छाशक्ति: संघवाद को कायम रखने के लिये राजनीतिक परिपक्वता और संघीय सिद्धांत के प्रति प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है। संघवाद की मज़बूती के लिये राजनेताओं को राष्ट्रवाद को लेकर बयानबाजी पर काबू पाने की आवश्यकता होगी जो संघवाद को राष्ट्रवाद और विकास के खिलाफ खड़ा करती है।

निष्कर्ष

COVID-19 महामारी की दूसरी लहर के साथ भारत ने यह अनुभव किया कि एक गंभीर राष्ट्रीय संकट के प्रबंधन के लिये केंद्र और राज्यों के बीच स्वस्थ सहयोग की आवश्यकता होती है।

कॉलेजियम प्रणाली और लोकतंत्र

लोकतंत्र की रक्षा के लिये बनाई गई संवैधानिक संस्थाओं में भारतीय न्यायपालिका को गौरवशाली स्थान प्राप्त है। अत: राष्ट्र, नागरिकों और न्यायपालिका को इसकी स्वतंत्रता को कमज़ोर होने से बचाना चाहिये।

न्यायिक प्रणाली में लोकतंत्र सुनिश्चित करने के लिये वर्ष1993 में कॉलेजियम प्रणाली का एक नया तंत्र स्थापित किया गया था।

कॉलेजियम प्रणाली का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) की राय उनकी व्यक्तिगत राय नहीं है बल्कि न्यायपालिका में सर्वोच्च सत्यनिष्ठा वाले न्यायाधीशों के एक निकाय द्वारा सामूहिक रूप से बनाई गई राय है।

हालाँकि कॉलेजियम प्रणाली की दक्षता को समय-समय पर इसकी स्वतंत्रता और न्यायिक नियुक्तियों तथा अन्य निर्णयों की पारदर्शिता के संदर्भ में चुनौती दी गई है।

न्यायपालिका में नागरिकों के विश्वास को बनाए रखने के लिये कॉलेजियम को कानून का सतर्कतापूर्वक पालन करते हुए अपनी स्वतंत्रता के हनन से खुद को बचाना चाहिये।

कॉलेजियम सिस्टम

- कॉलेजियम प्रणाली: यह न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण की प्रणाली है जो सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के माध्यम से विकसित हुई है, न कि संसद के अधिनियम या संविधान के प्रावधान द्वारा।
  - सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम का नेतृत्व CJI द्वारा की जाती है और इसमें न्यायालय के चार अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं।
  - एक उच्च न्यायालय कॉलेजियम का नेतृत्व उसके मुख्य न्यायाधीश और उस न्यायालय के चार अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश करते हैं
  - 1990 में सर्वोच्च न्यायालय के दो फैसलों के बाद यह व्यवस्था बनाई गई थी और 1993 से इसी के माध्यम से उच्च न्यायपालिका में जजों की नियुक्तियाँ होती हैं।
  - सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों में जजों की नियुक्ति तथा तबादलों का फैसला भी कॉलेजियम ही करता है। उच्च न्यायालयों के कौन से जज पदोन्नत होकर सर्वोच्च न्यायालय जाएंगे यह फैसला भी कॉलेजियम ही करता है।
  - कॉलेजियम की सिफारिशें प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को भेजी जाती हैं और उनकी मंज़ूरी मिलने के बाद ही नियुक्ति की जाती है।
- संवैधानिक प्रावधान: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 (2) में यह प्रावधान है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय और राज्यों के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की इतनी संख्या जिसे राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिये आवश्यक समझे, से परामर्श के बाद राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।।
  - अनुच्छेद 217 के अनुसार, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा CJI और राज्य के राज्यपाल के परामर्श से की जाएगी और मुख्य न्यायाधीश के अलावा किसी अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से भी परामर्श किया जाएगा ।
- सरकार की भूमिका: यदि किसी वकील को उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया जाता है तो सरकार की भूमिका इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) द्वारा जाँच कराने तक ही सीमित है।
  - यह कॉलेजियम की पसंद के बारे में आपत्तियाँ उठा सकता है और स्पष्टीकरण भी मांग सकता है लेकिन अगर कॉलेजियम उन्हीं नामों को दोहराता है तो सरकार संविधान पीठ के फैसलों के तहत उन्हें न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त करने के लिये बाध्य है।

कॉलेजियम सिस्टम से जुड़े मुद्दे

- पारदर्शिता की कमी: कामकाज के लिये लिखित मैनुअल का अभाव, चयन मानदंड का अभाव, पहले से लिये गए निर्णयों में मनमाने ढंग से उलटफेर, बैठकों के रिकॉर्ड का चयनात्मक प्रकाशन कॉलेजियम प्रणाली की अपारदर्शिता को साबित करता है।
    - कोई नहीं जानता कि न्यायाधीशों का चयन कैसे किया जाता है और इस प्रकार की नियुक्तियों ने औचित्य, आत्म-चयन तथा भाई-भतीजावाद जैसी चिंताओं को जन्म दिया है।
    - यह प्रणाली अक्सर कई प्रतिभाशाली कनिष्ठ न्यायाधीशों और अधिवक्ताओं की अनदेखी करती है।
- NJAC का लागू न होना: राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) अनुचित राजनीतिकरण से न्यायिक नियुक्ति प्रणाली की स्वतंत्रता की गारंटी दे सकता है, नियुक्तियों की गुणवत्ता को बेहतर कर सकता है और इस प्रणाली में जनता के विश्वास का पुनर्निर्माण कर सकता है।
    - सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2015 में इस फैसले को इस आधार पर रद्द कर दिया था कि इससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता को खतरा है।

राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग

केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा स्थानांतरण के लिये राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम बनाया था, जिसे सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी। 2015 में सर्वोच्च न्यायालय ने इस अधिनियम को यह कहते हुए असंवैधानिक करार दिया था कि 'राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग' अपने वर्तमान स्वरूप में न्यायपालिका के कामकाज में हस्तक्षेप है। उल्लेखनीय है कि शीर्ष न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली में व्यापक पारदर्शिता लाने की बात लंबे समय से होती रही है। शीर्ष अदालत का यह मानना है कि जजों की योग्यता का निर्धारण/आकलन करना न्यायपालिका का ज़िम्मा है।

- सदस्यों के बीच सहमति का अभाव: कॉलेजियम के सदस्यों को अक्सर न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में आपसी सहमति के मुद्दे का सामना करना पड़ता है।
    - कॉलेजियम के सदस्यों के बीच अविश्वास की भावना न्यायपालिका के भीतर की खामियों को उजागर करती है।
    - उदाहरण के लिये हाल ही में सेवानिवृत्त CJI शरद ए बोबडे शायद पहले मुख्य न्यायाधीश थे जिन्होंने कॉलेजियम सदस्यों के बीच आम सहमति की कमी के कारण सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिये एक भी सिफारिश नहीं की थी।
- असमान प्रतिनिधित्व: चिंता का अन्य क्षेत्र उच्चतर न्यायपालिका की संरचना है। उच्चतर न्यायपालिका में महिलाओं का प्रतिनिधित्व काफी कम है, जबकि जाति संबंधी आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं।
- न्यायिक नियुक्तियों में देरी: उच्चतर न्यायपालिका के लिये कॉलेजियम द्वारा सिफारिशों में देरी के कारण न्यायिक नियुक्ति की प्रक्रिया में देरी हो रही है।

आगे की राह

- न्यायपालिका की स्वतंत्रता का संरक्षण: कार्यपालिका और न्यायपालिका को शामिल करते हुए रिक्तियों को भरना एक सतत् और सहयोगी प्रक्रिया है।
    - हालाँकि यह एक स्थायी स्वतंत्र निकाय के बारे में सोचने का समय है जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिये पर्याप्त सुरक्षा उपायों के साथ प्रक्रिया को संस्थागत बनाने हेतु न्यायिक प्रधानता की गारंटी देता है लेकिन न्यायिक अनन्यता की नहीं।
    - इसे स्वतंत्रता सुनिश्चित करनी चाहिये, विविधता को प्रतिबिंबित करना चाहिये, पेशेवर क्षमता और अखंडता का प्रदर्शन करना चाहिये।
- सिफारिश की प्रक्रिया में बदलाव: एक निश्चित संख्या में रिक्तियों के लिये आवश्यक न्यायाधीशों की संख्या का चयन करने के बजाय कॉलेजियम द्वारा राष्ट्रपति को वरीयता और अन्य वैध मानदंडों के क्रम में नियुक्त करने के लिये संभावित नामों का एक पैनल प्रदान करना चाहिये।
- NJAC की स्थापना पर पुनर्विचार: सर्वोच्च न्यायालय NJAC अधिनियम में संशोधन कर सकता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि न्यायपालिका अपने निर्णयों में बहुमत का नियंत्रण बरकरार रखती है।
- पारदर्शिता सुनिश्चित करना: कॉलेजियम के सदस्यों को एक नई शुरुआत करनी होगी और एक-दूसरे के साथ जुड़ना होगा।
    - एक पारदर्शी प्रक्रिया जवाबदेही सुनिश्चित करती है जो गतिरोध को हल करने के लिये बहुत आवश्यक है।

- कुछ नामों पर व्यक्तिगत मतभेद होते रहेंगे लेकिन इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिये कि न्याय देने की संस्थागत अनिवार्यता प्रभावित न हो।

निष्कर्ष

यह अत्यंत महत्त्वपूर्ण है कि न्यायपालिका जो नागरिक स्वतंत्रता का मुख्य कवच है, पूरी तरह से स्वतंत्र हो और कार्यपालिका के प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रभाव से अलग रहे।

देश के उच्चतर न्यायालयों में नियुक्ति के लिये उच्चतम सत्यनिष्ठा वाले न्यायाधीशों की पहचान और उनका चयन करके भारत की न्यायिक प्रणाली की स्वतंत्रता को सुनिश्चित किया जा सकता है।

दृष्टि The Vision

आर्थिक घटनाक्रम

स्किलिंग इंडिया

किसी भी उद्यम की सफलता में पूंजी, सहयोग, नियामक तंत्र और सबसे आवश्यक वैज्ञानिक एवं तकनीकी ज्ञान तथा कौशल की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है और ये आपस में परस्पर संबद्ध भी हैं।

भारत में पिछले दशक में सरकारों द्वारा कौशल विकास हेतु कई पहलें शुरू की गई हैं। हालाँकि परिणाम अभी भी भ्रांतिजनक हैं। यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट-2020 के अनुसार, भारत में वर्ष 2010-2019 की अवधि में केवल 21.1 प्रतिशत श्रम बल कौशल युक्त था।

यह निराशाजनक परिणाम नीतिगत कार्रवाइयों में सामंजस्य की कमी और समग्र दृष्टिकोण के अभाव के कारण है। इसलिये यदि भारत जनसांख्यिकीय लाभ प्राप्त करना चाहता है तो उसे भारत में कौशल विकास से संबंधित चुनौतियों का समाधान करने की आवश्यकता है।

कौशल विकास से संबंधित मुद्दे

- एक-एक अंश दृष्टिकोण (Piecemeal Approach:): कौशल के लिये Piecemeal दृष्टिकोण को इस वर्ष के बजट में देखा जा सकता है जिसने राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण योजना को फिर से संगठित करने के लिये 3,000 करोड़ रुपए आवंटित किये हैं, लेकिन इसे केवल इंजीनियरिंग वर्ग तक सीमित कर दिया है, जबकि अन्य विज्ञान और कला वर्गों को इससे अलग रखा गया है।
- अतिभारित ज़िम्मेदारी: प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का तीसरा चरण वर्ष 2020-21 में 8 लाख से अधिक लोगों को कौशल विकास प्रदान करने के लिये शुरू किया गया है।
  - हालाँकि यह ज़िला कलेक्टरों की अध्यक्षता वाली ज़िला कौशल विकास समितियों पर अत्यधिक निर्भरता से ग्रस्त है। ये समितियाँ अपने अन्य कार्यों को देखते हुए इस भूमिका को प्राथमिकता देने में सक्षम नहीं हो पाती हैं।
- नीति प्रक्रिया में अनिरंतरता: अंतर-मंत्रालयी और अंतर-विभागीय मुद्दों को हल करने तथा केंद्र के प्रयासों के दोहराव को समाप्त करने के लिये वर्ष 2013 में राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी (एनएसडीए) बनाई गई।
  - हालाँकि अब इसे राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (NCVT) के हिस्से के रूप में शामिल कर लिया गया है।
  - यह न केवल नीति प्रक्रिया में अनिरंतरता को दर्शाता है बल्कि नीति निर्माताओं के बीच कुछ उलझन को भी दर्शाता है।
- नए प्रवेशकों की भारी संख्या: राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) के 2019 के एक अध्ययन के अनुसार, वर्ष 2023 तक 15-59 वर्ष की आयु के 7 करोड़ अतिरिक्त लोगों के श्रम बल में प्रवेश करने की उम्मीद है।
  - युवाओं की बड़े संख्या में कौशलयुक्त होने के परिणामस्वरूप यह सर्वोपरि हो गया है कि रोज़गार गारंटी हेतु नीतिगत प्रयासों को बढ़ावा दिया जाए ।
- अपर्याप्त प्रशिक्षण क्षमता: भारत में प्रशिक्षण प्राप्त लोगों के मध्य भी रोज़गार की दर कम है, इसका प्रमुख कारण पर्याप्त और गुणवत्तापरक प्रशिक्षण प्राप्त न होना रहा है। कम अवधि के प्रशिक्षण में सीखने की संभावनाएँ सीमित होती हैं। जहाँ अभियांत्रिकी के विद्यार्थी किसी विषय के लिये चार वर्ष का समय लेते हैं, वहीं उसी विषय के समरूप कोई कौशल प्रशिक्षण कुछ माह में प्राप्त नहीं किया जा सकता है।
- उद्यमिता कौशल की कमी: सरकार का दृष्टिकोण था कि PMKVY के अंतर्गत कौशल एवं प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले लोग स्वरोज़गार की ओर मुड़ेंगे, इससे रोज़गार सृजन में वृद्धि होगी किंतु 24 प्रतिशत लोगों ने ही सिर्फ अपने व्यवसाय आरंभ किये, जबकि इनमें से भी सिर्फ 10 हज़ार लोगों ने ही मुद्रा (Micro Units Development and Refinance Agency-MUDRA) ऋण हेतु आवेदन किया।
- नियोक्ताओं की अनिच्छा: भारत में बेरोज़गारी की अधिकता के लिये सिर्फ कौशल प्रशिक्षण ही एकमात्र समस्या नहीं है बल्कि उद्यमों तथा लघु उद्योगों द्वारा लोगों को नियुक्त न करने की इच्छा भी एक बड़ा कारण है।
  - बैंकों से ऋण प्राप्ति में कठिनाई, गैर-निष्पादित संपत्तियों (NPAs) की अधिकता तथा निवेश दर के निम्न होने के कारण रोज़गार सृजन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

नोट :

- उद्योगों की सीमित भूमिका: अधिकांश प्रशिक्षण संस्थानों में उद्योग क्षेत्र की भूमिका सीमित होने के कारण प्रशिक्षण की गुणवत्ता तथा प्रशिक्षण के उपरांत रोज़गार एवं वेतन का स्तर निम्न बना रहा।
- विद्यार्थियों में कम आकर्षण: कौशल प्रशिक्षण संस्थानों जैसे- ITI तथा पॉलीटेक्निक में इनकी क्षमता के अनुपात में विद्यार्थियों का नामांकन कम हुआ। इसका प्रमुख कारण युवाओं के बीच कौशल विकास कार्यक्रमों को लेकर सीमित जागरूकता को माना जा सकता है।

आगे की राह

- शिक्षा और कौशल के बीच अलगाव को समाप्त करना: शिक्षा प्रणाली के औपचारिक और व्यावसायिक कृत्रिम अलगाव को समाप्त करने की आवश्यकता है, इससे शिक्षा और कौशल हेतु एक सक्षम ढाँचे के साथ निर्बाध एकीकरण की अनुमति प्राप्त होगी।
    - इस संदर्भ में नई शिक्षा नीति (NEP) 2020 में एक सही नीति की परिकल्पना की गई है क्योंकि यह स्कूल और उच्च शिक्षा दोनों स्तरों पर व्यावसायिक व औपचारिक शिक्षा के एकीकरण पर ज़ोर देती है।
    - NEP ने एक पायलट 'हब-एन-स्पोक' मॉडल का भी प्रस्ताव रखा, जिसमें ITI के वैचारिक ढाँचे को VET से संबंधित प्रशिक्षण और आसपास के 5-7 स्कूलों के छात्रों को एक्सपोज़र प्रदान करने के लिये 'हब' बनाया गया।
- कौशल सर्वेक्षण: नियोक्ताओं की सटीक कौशल आवश्यकताओं का पता लगाने के लिये सर्वेक्षण किये जा सकते हैं।
    - ऐसे सर्वेक्षणों के विश्लेषण से प्रशिक्षण कार्यक्रमों के पाठ्यक्रम ढाँचे को डिज़ाइन करने में मदद मिलेगी और इस प्रकार मानकीकृत पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण वितरण प्रणाली विकसित की जा सकती है।
- प्रशिक्षण संस्थानों का मूल्यांकन: राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) को प्रशिक्षण संस्थानों के मूल्यांकन तथा इन संस्थानों को बेहतर प्रदर्शन करने के लिये प्रोत्साहित करना चाहिये, साथ ही ऐसी विधियों एवं तकनीकों का सृजन करना चाहिये जो प्रशिक्षण संस्थानों की कार्य-दक्षता में वृद्धि करें।
- शिक्षा और प्रशिक्षण खर्च में वृद्धि: भविष्य में स्किल इंडिया प्रोग्राम भी सकारात्मक परिणाम नहीं दे पाएगा यदि शिक्षा में सरकारी व्यय कम रहता है क्योंकि उचित शिक्षा के अभाव में प्रशिक्षण के लिये ज़मीन तैयार नहीं हो पाती है।
    - यदि शिक्षा पर खर्च सीमित बना रहता है तो स्किल इंडिया कार्यक्रम अपेक्षित परिणाम देने में सक्षम नहीं हो सकेगा। इसके लिये मूलभूत स्तर पर विद्यार्थियों के भीतर कौशल शिक्षा के प्रति रुझान पैदा करना आवश्यक है। स्कूली शिक्षा के लिये सरकार का बजट आवंटन वर्ष 2013-14 के 2.81 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2018-19 में 2.05 प्रतिशत पर आ गया है, जो शिक्षा के क्षेत्र में उभरती गंभीर समस्या की ओर संकेत करता है।
    - ऐसे में NEP द्वारा शिक्षा पर सार्वजनिक खर्च को GDP के 6 प्रतिशत तक बढ़ाने का प्रस्ताव सही दिशा में उठाया गया कदम है।
- अंतर्राष्ट्रीय सफलता मॉडल को आत्मसात करना: भारत को चीन, जर्मनी, जापान, ब्राज़ील और सिंगापुर के तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण /शिक्षा मॉडल से सीखने की ज़रूरत है, जिनके पास अतीत में इसी तरह की चुनौतियाँ थीं। साथ ही एक व्यापक मॉडल को अपनाने के लिये अपने स्वयं के अनुभवों से सीखने की आवश्यकता होती है। यह कौशल अंतराल को पाट सकता है और युवाओं की रोज़गार योग्यता सुनिश्चित कर सकता है।

निष्कर्ष

भारत को आत्मानिर्भर बनाने और विभिन्न योजनाओं से संबंधित दोहराव को खत्म करने के लिये सभी कौशल प्रयासों को एक मंच के तहत लाने की आवश्यकता है। मुख्यधारा व व्यावसायिक कार्यक्रमों के बीच पाठ्यक्रम बदलने के लिये व्यावहारिक एवं वास्तविक शिक्षा के साथ एक मज़बूत संस्थागत ढाँचे को स्थापित करने की आवश्यकता है।

किसान उत्पादक संगठनों का सुदृढ़ीकरण

भारतीय कृषि को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे- इनपुट लागत में वृद्धि, दक्षिण-पश्चिम मानसून के बदलते पैटर्न, खराब अर्थव्यवस्था आदि।

इन चुनौतियों के संभावित समाधानों में किसान को मिलने वाली कीमत में वृद्धि, इनपुट को कम करने के लिये बेहतर तरीके, फार्म गेट पर मूल्यवर्द्धन, बीमा और किसान-अनुकूल क्रेडिट मॉडल शामिल हैं।

हालाँकि एक ऐसा मुद्दा है जो इन सभी समाधानों के मूल में है और वह है पहुँच का। इस संबंध में किसान उत्पादक संगठनों (FPO) की स्थापना से काफी मदद मिल सकती है। एक FPO किसान आधार को बढ़ाने, इनपुट प्रदान करने, उत्पादन खरीदने, उन्हें फसलों पर सलाह देने, ऋण एवं बीमा प्रदान करने, प्रसंस्करण के बाद की सुविधा आदि में मदद करता है।

FPO का समर्थन करने वाली कई सरकारी योजनाओं के बावजूद अब तक 7,500 से अधिक FPO पंजीकृत किये गए हैं, इनमें से केवल 15 प्रतिशत ही सक्रिय हैं।

FPOs के लाभ:

- परिमाण आधारित अर्थव्यवस्था: थोक दरों पर सभी आवश्यक आगतों की खरीद थोक में करके उत्पादन की लागत को कम किया जा सकता है।
  - उत्पाद और थोक परिवहन का संयोजन विपणन लागत को कम करता है, इस प्रकार उत्पादक की शुद्ध आय में वृद्धि करता है।
  - आधुनिक प्रौद्योगिकियों तक पहुँच, क्षमता निर्माण की सुविधा, उत्पादन प्रौद्योगिकियों का विस्तार और प्रशिक्षण तथा कृषि उपज के संबंध में जानकारी प्राप्त करने की क्षमता सुनिश्चित करना।
- क्षति में कमी: मूल्यवर्द्धन और मूल्य शृंखला के कुशल प्रबंधन के माध्यम से कटाई के बाद के नुकसान को कम किया जा सकता है।
  - उचित योजना और प्रबंधन के माध्यम से उपज की नियमित आपूर्ति और गुणवत्ता पर नियंत्रण संभव है।
- वित्त तक आसान पहुँच: बिना किसी जमानत के स्टॉक के वित्तीय संसाधनों तक पहुँच संभव है।
- बेहतर सौदेबाज़ी: FPOs के माध्यम से सामूहिकता भी उन्हें एक समूह के रूप में अधिक 'सौदेबाज़ी' की शक्ति देती है और सामाजिक पूंजी निर्माण में मदद करती है।

संबंधित चुनौतियाँ:

- व्यावसायिक प्रबंधन की कमी: पर्यवेक्षण और नियंत्रण के लिये FPO को अनुभवी, प्रशिक्षित और पेशेवर रूप से योग्य मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा अन्य कर्मियों द्वारा कुशलतापूर्वक प्रबंधित करने की आवश्यकता होती है।
  - हालाँकि FPO व्यवसाय को पेशेवर रूप से प्रबंधित करने के लिये ग्रामीण क्षेत्र में इस तरह की प्रशिक्षित जनशक्ति वर्तमान में उपलब्ध नहीं है।
- कमज़ोर वित्तीय स्थिति: FPO का प्रतिनिधित्व अधिकतर छोटे और सीमांत किसानों द्वारा किया जाता है जिनके पास खराब संसाधन आधार होता है और इसलिये शुरू में वे अपने सदस्यों को जीवंत उत्पाद तथा सेवाएँ देने एवं आत्मविश्वास बनाने के लिये वित्तीय रूप से मज़बूत नहीं होते हैं।
- क्रेडिट तक अपर्याप्त पहुँच: संपार्श्विक और क्रेडिट इतिहास की कमी के कारण किफायती ऋण तक पहुँच में कमी वर्तमान FPO द्वारा सामना की जाने वाली प्रमुख बाधाओं में से एक है।
- जोखिम न्यूनीकरण तंत्र का अभाव: वर्तमान में जहाँ किसानों के स्तर पर उत्पादन से संबंधित जोखिम आंशिक रूप से मौजूदा फसल/पशुधन/अन्य बीमा योजनाओं के अंतर्गत आते हैं, वहीं FPO के व्यावसायिक जोखिमों को कवर करने का कोई प्रावधान नहीं है।
- बुनियादी ढाँचे तक अपर्याप्त पहुँच: उत्पादक समूह के पास परिवहन सुविधाओं, भंडारण, मूल्यवर्द्धन और प्रसंस्करण, ब्रांड निर्माण एवं विपणन आदि के एकीकरण के लिये आवश्यक बुनियादी ढाँचे तक अपर्याप्त पहुँच है।

आगे की राह

- कार्य का विभाजन: FPO के लिये पूरी तरह से किसानों के साथ जुड़ाव पर ध्यान केंद्रित करना और गैर-कृषि गतिविधियों में मदद के लिये एक FPO सपोर्ट यूनिट (FPOSU) की स्थापना करना आवश्यक है।
  - FPOSU को कई FPO के साथ मिलकर काम करने के लिये स्थापित किया जाएगा जिससे बड़ी छूट प्राप्त करने, बड़े खरीदारों के साथ सौदेबाज़ी करने, स्रोत से संबंधित उपयुक्त सलाह देने, क्रेडिट, बीमा और अन्य उत्पादों तथा सेवाओं जैसी लाखों किसानों की मांग की पूर्ति की जा सकेगी।
- विपणन को सक्षम बनाना: FPOs की सफलता के लिये लाभकारी कीमतों पर उपज का विपणन सबसे महत्त्वपूर्ण है।

- FPOs की दीर्घकालिक स्थिरता के लिये उद्योग/अन्य बाज़ार के खिलाड़ियों, बड़े खुदरा विक्रेताओं आदि के साथ जुड़ाव आवश्यक है।
- इसके अलावा FPO को ग्रामीण कृषि बाज़ार (GRAM) के रूप में मानने और FPO के स्वामित्व तथा प्रबंधन के लिये आवश्यक विपणन बुनियादी ढाँचे का निर्माण करने की आवश्यकता है।

- UBER/OLA मॉडल: सफाई, ग्रेडिंग, छँटाई, परख, प्रसंस्करण, ब्रांडिंग और परिवहन के लिये FPO पर फार्म स्तर के बुनियादी ढाँचे के निर्माण के लिये संसाधनों का अभिसरण आवश्यक है।
  - ऐसा शेयरधारक सदस्यों के लाभ के लिये UBER/OLA मॉडल पर आधारित कस्टम हायरिंग केंद्रों की स्थापना द्वारा किया जा सकता है।
- FPO के सुदृढ़ीकरण को नकारना: संबंधित मंत्रालयों/विभागों को सेवाओं के कुशल वितरण और बेहतर परिणामों के लिये FPO के माध्यम से सभी "किसान केंद्रित योजनाओं" को लागू करने के लिये अनिवार्य किया जा सकता है।
  - इसके अलावा भारत सरकार की खाद्यान्न खरीद नीति में एक उपयुक्त प्रावधान हो सकता है जिसमें MSP योजना के तहत FPO के माध्यम से सीधे कृषि वस्तुओं की खरीद की आवश्यकता होती है।
- FPO से संबंधित शिक्षा: निजी संस्थान/कृषि विश्वविद्यालय FPO प्रोत्साहन और कृषि व्यवसाय प्रबंधन पर विशेष पाठ्यक्रम शुरू कर सकते हैं, जिसमें महिलाओं सहित ग्रामीण युवाओं पर ध्यान दिया जा सकता है ताकि FPO गतिविधियों के प्रबंधन के लिये ग्रामीण क्षेत्रों में पेशेवरों का एक बड़ा पूल तैयार किया जा सके

निष्कर्ष:

चूँकि FPO को किसानों की आय बढ़ाने और कृषि विकास को बढ़ावा देने के लिये आगे का रास्ता माना जाता है, इसलिये विभिन्न हितधारकों द्वारा FPO को बढ़ावा देने हेतु भविष्य की रणनीतियों को जन जागरूकता निर्माण, संस्थागत विकास, पारिस्थितिकी तंत्र के साथ जुड़ाव और डिजिटल निगरानी पर ध्यान दिया जाना चाहिये।

सतत् गन्ना उद्योग

पिछले कुछ दशकों में भारत में गन्ने की खेती का विस्तार हुआ है। उत्पादन को प्रोत्साहित करने वाली नीतियाँ, न्यूनतम मूल्य, गन्ने की गारंटीकृत बिक्री और चीनी के सार्वजनिक वितरण जैसे कुछ कारकों ने भारत को दुनिया भर में चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बनने में मदद की है।

हालाँकि वर्षा की कमी, भूजल स्तर में गिरावट, गन्ना कृषकों को भुगतान में देरी,अन्य फसलों की तुलना में कम शुद्ध आय (किसान के लिये), श्रम की कमी, श्रम की बढ़ती लागत और अब कोविड-19 महामारी जैसे कारक संपूर्ण चीनी क्षेत्र को पंगु बना रहे हैं।

चूँकि गन्ना एक नकदी फसल है, इसलिये भारतीय कृषि और किसान की आय को दोगुना करने के लिये गन्ना उद्योग को प्रभावित करने वाले मुद्दों का समाधान किया जाना महत्त्वपूर्ण है।

गन्ना उद्योग से संबंधित चुनौतियाँ

- मूल्य निर्धारण नियंत्रण: मांग-आपूर्ति असंतुलन को रोकने के लिये केंद्र और राज्य सरकारें विभिन्न नीतिगत हस्तक्षेपों जैसे- निर्यात शुल्क, चीनी मिलों पर स्टॉक सीमा लगाना, मौसम विज्ञान नियम में बदलाव आदि के माध्यम से चीनी की कीमतों को नियंत्रित कर रही हैं।
  - हालाँकि मूल्य निर्धारण के लिये सरकारी नियंत्रण प्रकृति में लोकलुभावन है और इससे अक्सर मूल्य विकृति उत्पन्न होती है।
  - इससे चीनी चक्र का बड़े पैमाने पर अधिशेष और गंभीर कमी के बीच दोलन शुरू हो गया है।
- उच्च आगत और कम उत्पादन लागत: गन्ने की कीमतों में निरंतर वृद्धि की पृष्ठभूमि में हाल के वर्षों में चीनी की गिरती/स्थिर कीमत पिछले कुछ वर्षों में चीनी उद्योग के सामने आने वाली समस्याओं का मुख्य कारण है।
  - इसकी वजह से सरकार को बड़े स्तर पर गन्ना अधिशेष की स्थिति से जूझना पड़ा, जबकि यह उद्योग समय-समय पर सरकार द्वारा वित्तपोषित बेल-आउट और सब्सिडी पर जीवित रहा।
  - व्यवसाय की अव्यवहार्यता के कारण चीनी उद्योग में कोई नया निजी निवेश नहीं किया जा रहा है।

- चीनी निर्यात अव्यवहार्यता: भारतीय निर्यात अव्यावहारिक है क्योंकि चीनी उत्पादन की लागत अंतर्राष्ट्रीय चीनी मूल्य से काफी अधिक है।
  - सरकार ने निर्यात सब्सिडी प्रदान करके मूल्य अंतर को पाटने की मांग की लेकिन विश्व व्यापार संगठन में अन्य देशों द्वारा इसका तुरंत विरोध किया गया।
  - इसके अलावा कृषि पर विश्व व्यापार संगठन के समझौते के तहत भारत को दिसंबर 2023 तक सब्सिडी जारी रखने की अनुमति दी गई है। चिंता यह है कि वर्ष 2023 के बाद क्या होगा?
- भारत के इथेनॉल कार्यक्रम का निराशाजनक प्रदर्शन: ऑटो ईंधन के रूप में उपयोग के लिये पेट्रोल के साथ इथेनॉल का मिश्रण की घोषणा पहली बार वर्ष 2003 में की गई थी लेकिन इससे समस्या दूर नहीं हुई।
  - सम्मिश्रण के लिये आपूर्ति किये गए इथेनॉल की कीमत, चीनी की आवधिक कमी और शराब के निर्माण हेतु प्रतिस्पर्द्धी मांग इसके लिये ज़िम्मेदार हैं।

आगे की राह

- गन्ना मानचित्रण: भारत में पानी, खाद्य और ऊर्जा क्षेत्र में गन्ने के महत्त्व के बावजूद भी गन्ने का मानचित्रण उपयुक्त ढंग से नहीं हो पाया है।
  - इस प्रकार गन्ना क्षेत्रों के मानचित्रण के लिये सुदूर संवेदन प्रौद्योगिकियों की आवश्यकता है।
- नवाचार: गन्ने में अनुसंधान और विकास कम उपज और कम चीनी रिकवरी दर जैसे मुद्दों को हल करने में मदद कर सकता है।
  - उदाहरण के लिये वर्ष 2016-17 में उत्तर प्रदेश (यूपी) में उपयोग के लिये गन्ने की एक नई किस्म (सीओ 238) विकसित की गई थी।
  - यह देखते हुए कि उत्तर प्रदेश भारत में गन्ने का बड़ा हिस्सा उत्पादित करता है, देश के चीनी उत्पादन में इसका हिस्सा 25 प्रतिशत से बढ़कर 40 प्रतिशत हो गया।
  - इस विलक्षण विकास ने प्रभावी रूप से चीनी चक्र को तोड़ दिया और भारत को लगातार अधिशेष चीनी उत्पादक देश बना दिया।
- गन्ना मूल्य निर्धारण को स्वतंत्र करना: भारत सरकार ने गन्ना क्षेत्र की मदद के लिये कई उपाय किये हैं लेकिन गन्ना क्षेत्र में सुधार तब नज़र आएगा जब आर्थिक लागत के अनुसार इसके मूल्य निर्धारित किए जाएंगे।
- इस संदर्भ में रंगराजन समिति ने चीनी और अन्य उप-उत्पादों की कीमत में गन्ना मूल्य फैक्टरिंग तय करने के लिये राजस्व बंटवारा सूत्र सुझाया है।
  - इसके अलावा यदि सूत्र द्वारा निकाला गया गन्ने का मूल्य, सरकार के उचित भुगतान मूल्य से नीचे चला जाता है, तो यह इस उद्देश्य के लिये बनाए गए एक समर्पित फंड से अंतर को पाट सकता है और फंड बनाने के लिये उपकर लगाया जा सकता है।
- जैव ईंधन उत्पादन का समर्थन: सरकार को इथेनॉल उत्पादन को प्रोत्साहित करना चाहिये। यह देश के तेल आयात बिल को कम करेगा और सुक्रोज को इथेनॉल में बदलने तथा चीनी के अतिरिक्त उत्पादन को संतुलित करने में मदद करेगा।
  - इसके लिये सरकार को सीधे गन्ने के रस से एथेनॉल बनाने की अनुमति देनी चाहिये जो अभी केवल शीरे तक ही सीमित है।

निष्कर्ष

चीनी उद्योग 50 मिलियन किसानों और उनके परिवारों के लिये आजीविका का एक स्रोत है। यह देश भर में चीनी मिलों एवं संबद्ध उद्योगों में 5 लाख से अधिक कुशल श्रमिकों के साथ-साथ अर्द्ध-कुशल श्रमिकों को भी प्रत्यक्ष रोज़गार प्रदान करता है।

चीनी उद्योग के महत्त्व को ध्यान में रखते हुए गन्ना कृषकों के सामने आने वाले संकट को केंद्र और राज्य द्वारा नीतिगत पहलों के माध्यम से तुरंत हल करने की आवश्यकता है।

विकास से अधिक महत्त्वपूर्ण है आय का स्तर!

कोविड-19 महामारी से लगे आघात के बाद देश का आर्थिक विकास गिरावट की प्रवृत्ति दर्शा रहा है और निजी निवेश एवं माँग में भी कमी आई है।

इस परिदृश्य में भारत के लिये माँग में तीव्र पुनरूद्धार की आवश्यकता है और इसके लिये उच्च प्रति व्यक्ति आय (Higher Per Capita Income) आवश्यक है।

यद्यपि माँग में सुधार और आर्थिक विकास दर में वृद्धि के लिये अर्थव्यवस्था को अभी कई चुनौतियों से निपटना होगा।

अर्थव्यवस्था के संबंध में कुछ अवलोकन

- कृषि क्षेत्र ने अपना प्रभावशाली विकास प्रदर्शन जारी रखा, जिससे पुन: इस बात की पुष्टि हुई कि यह अभी भी अर्थव्यवस्था का अत्यंत महत्त्वपूर्ण क्षेत्र बना हुआ है और विशेषकर आपदा या संकट के समय इसकी प्रमुख भूमिका है।
- स्थानीयकृत लॉकडाउन के कारण उत्पादन में रूकावट के साथ विनिर्माण क्षेत्र में गिरावट की प्रवृत्ति बनी रही और यह अर्थव्यवस्था के विकास चालक के रूप में उभरने में विफल रहा है।
- व्यापार (-18.2%), निर्माण (-8.6%), खनन (-8.5%) और विनिर्माण (-7.2%) क्षेत्र में गिरावट चिंता का विषय है क्योंकि ये क्षेत्र निम्न-कुशल रोज़गारों (Low-Skilled Jobs) में बड़ी हिस्सेदारी रखते हैं।

आर्थिक विकास के समक्ष विद्यमान चुनौतियाँ

- बेरोज़गारी दर में वृद्धि: सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (Centre for Monitoring Indian Economy- CMIE) के अनुसार मई 2021 में भारत की श्रम भागीदारी दर 40% थी जो अप्रैल 2021 की दर के समान ही थी, लेकिन इस अवधि में बेरोज़गारी दर 8% से बढ़कर 11.9% हो गई।
  - उच्च बेरोज़गारी दर के साथ एक स्थिर श्रम भागीदारी दर का अर्थ है रोज़गार की हानि और रोज़गार दर में गिरावट।
  - CMIE के अनुसार, मई 2021 में 15 मिलियन से अधिक रोजगारों की हानि हुई जो नवंबर 2016 में नोटबंदी के दौरान 12.3 मिलियन की तुलना में अधिक है।
- उच्च अनौपचारिकता: रोज़गार की हानि ने भारत में उच्च अनौपचारिकता और श्रम की भेद्यता को अवसर दिया है क्योंकि महामारी के दौरान दैनिक वेतनभोगियों या दिहाड़ी मज़दूरों के रोज़गार की सर्वाधिक हानि हुई। यह देश के समावेशी विकास के ध्येय और उच्च आर्थिक विकास क्षमता को चुनौती देता है।
- निम्न व्यापार विश्वास: फिक्की (Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry- FICCI) के सर्वेक्षण के अनुसार, व्यापार विश्वास सूचकांक (Business Confidence Index- BCI) में भारी गिरावट आई है। क्रय प्रबंधक सूचकांक (Purchasing Managers Index- PMI) भी 10 माह के निम्नतम स्तर पर आ गया है, जो दर्शाता है कि विनिर्माण क्षेत्र में तनाव के संकेत दिख रहे हैं और विकास अनुमानों को संशोधित कर कम किया जा रहा है।
  - BCI और PMI दोनों में गिरावट यह दर्शाता है कि वर्ष 2021-22 के प्रति समग्र आशावादिता कम है, जो निवेश को प्रभावित कर सकता है और आगे भी रोज़गार की हानि का कारण बन सकता है
- कमज़ोर माँग: घरेलू आय के गंभीर रूप से प्रभावित होने और कोविड-19 महामारी की पहली लहर के दौरान पिछली बचत के पहले ही आहरित या व्यय हो जाने के कारण माँग की स्थिति कमज़ोर बनी हुई है।

भारत की नीति प्रतिक्रिया की समस्याएँ:

- आबादी के अतिसंवेदनशील या कमज़ोर समूहों की कठिनाइयों को कम करने के लिये उनकी सहायता हेतु सरकार द्वारा कम प्रत्यक्ष कार्रवाई की गई है।
- नीतिगत उपायों का अधिकांश भार आपूर्ति पक्ष पर केंद्रित है न कि माँग पक्ष पर।
  - वित्तीय संकट के इस समय माँग को त्वरित प्रोत्साहन देने के लिये प्रत्यक्ष राज्य व्यय की आवश्यकता है।
- अभी तक घोषित सभी प्रोत्साहन पैकेजों का बड़ा हिस्सा मध्यम अवधि (तत्काल नहीं) में कार्यान्वित होगा। इनमें बाह्य क्षेत्र, आधारभूत संरचना और विनिर्माण क्षेत्र से संबद्ध नीतियाँ शामिल हैं।
- माँग पक्ष में किसी भी प्रत्यक्ष उपाय को अपनाने की तुलना में मुख्य नीति आधार के रूप में क्रेडिट बैकस्टॉप का उपयोग करने की अपनी सीमाएँ हैं क्योंकि यदि निजी निवेश में वृद्धि नहीं होती है तो यह कमज़ोर विकास प्रदर्शन का कारण बनेगी।
- इसके अलावा, ऋण को सुगम बनाने का दृष्टिकोण आय में वृद्धि लाने में अधिक समय लेगा क्योंकि ऋणदेयता में ऋणदाता का विवेक और उधारकर्त्ता का दायित्व दोनों शामिल होता है।

आगे की राह

- समग्र माँग में तीव्र पुनरूद्धार: विकास दर में सुधार माँग में सुधार पर निर्भर है। माँग में वृद्धि बचत में वृद्धि और आय-स्तर में सुधार के साथ ही होगी।
  - निवेश, विशेष रूप से निजी निवेश, "प्रमुख चालक" है जो माँग को प्रेरित करता है, क्षमता निर्माण करता है, श्रम उत्पादकता में वृद्धि करता है, नई प्रौद्योगिकी के प्रवेश को सक्षम करता है, रचनात्मक विनाश को अवसर देता है और रोज़गार सृजन करता है।
- निर्यात संवर्द्धन: मई 2021 में भारत का निर्यात 32 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँचने के साथ, जो मई 2020 की तुलना में 67% अधिक है, बाह्य माँग मज़बूत दिख रही है और इससे संकेत मिलता है कि वैश्विक माँग में तेज़ पुनरुद्धार हो रहा है।
  - इसके साथ ही निर्यातकों को निर्यात वित्त उपलब्ध कराया जा सकता है।
- मनरेगा के वित्तपोषण में वृद्धि और शहरी क्षेत्रों में इसका विस्तार: मनरेगा (MGNREGA) कार्यक्रम सामान्य दिनों के साथ ही संकट काल (जैसे कोविड-19) में श्रमिकों के लिये आजीविका समर्थन का प्रमुख आधार साबित हुआ है और इस दृष्टिकोण से योजना का शहरी क्षेत्रों में विस्तार करना एक अच्छा कदम होगा।
- नकद लाभ का हस्तांतरण: एक सार्थक नकद हस्तांतरण संकटग्रस्त परिवारों में आत्मविश्वास की बहाली कर सकता है। लोगों के हाथ में नकद राशि उनके अंदर सुरक्षा और आत्मविश्वास की भावना लेकर आएगी जो आर्थिक सामान्य स्थिति की बहाली की आधारशिला है।
  - यह अर्थव्यवस्था में उपभोग और माँग की वृद्धि करेगी और अर्थव्यवस्था के 'सुदृढ़ चक्र' (Virtuous Cycle) को पुन: गति प्रदान कर सकती है।
- प्रौद्योगिकी का उपयोग: इंटरनेट की बढ़ती पहुँच के साथ सरकारों को उद्योग जगत के नेताओं का सहयोग लेते हुए समस्त आबादी तक ज्ञान और कौशल के प्रसार के लिये स्थानीय क्षेत्रीय भाषाओं में ऑनलाइन ट्यूटोरियल का सृजन करना चाहिये।
- रत्न एवं आभूषण, वस्त्र एवं परिधान और चर्म-वस्तु निर्माण जैसे श्रम-गहन क्षेत्रों को बढ़ावा देना चाहिये।

निष्कर्ष

- विकास दर पर ध्यान केंद्रित करने के दीर्घावधि में अपने लाभ हैं क्योंकि उच्च आय स्तरों को प्राप्त करने के लिये एक लंबी अवधि तक सतत या संवहनीय विकास की आवश्यकता होती है।
- भारत धीरे-धीरे ही सही लेकिन निश्चित रूप से आर्थिक पुनरुद्धार की राह पर है और इस विकास गति को बनाए रखने के लिये निवेश ही सर्वोत्तम उपाय है।

The Vision

अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम

अमेरिका की वापसी और क्षेत्रीय गतिशीलता

अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की तेज़ी से वापसी ने पूरे देश में तालिबान की गतिशीलता को बढ़ा दिया है। अमेरिका ने पुष्टि की है कि उसके 90% सैनिकों की वापसी हो चुकी है और तालिबान ने दावा किया है कि अफगानिस्तान के 85% क्षेत्र पर उसका नियंत्रण है।

इन घटनाक्रमों ने अफगानिस्तान को क्षेत्रीय शक्तियों के दरबार में ला खड़ा किया है, जिस पर अब अमेरिकी सैनिकों की वापसी के कारण उपजे सैन्य शून्य की स्थिति को प्रबंधित करने का बोझ है।

अफगानिस्तान के क्षेत्रीय समाधान का विचार हमेशा से ही राजनीतिक आकर्षण रहा है। लेकिन अलग-अलग क्षेत्रीय रणनीतिक दृष्टिकोण अफगानिस्तान पर एक स्थायी आम सहमति की संभावनाओं को सीमित करते हैं।

अमेरिका की वापसी के कारण

- अमेरिका का मानना है कि तालिबान के विरुद्ध चल रहा यह युद्ध अजेय है।
- अमेरिकी प्रशासन ने वर्ष 2015 में 'मुरी' में पाकिस्तान द्वारा आयोजित तालिबान और अफगान सरकार के बीच पहली बैठक के लिये अपना एक प्रतिनिधि भेजा था।
  - हालाँकि 'मुरी' वार्ता से कुछ प्रगति हासिल नहीं की जा सकी थी।
- दोहा वार्ता: तालिबान के साथ सीधी बातचीत के उद्देश्य से अमेरिका ने अफगानिस्तान के लिये एक विशेष दूत नियुक्त किया। उसने दोहा में तालिबान प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की जिसके परिणामस्वरूप फरवरी 2020 में
- अमेरिका और विद्रोहियों के बीच समझौता हुआ।
  - दोहा वार्ता शुरू होने से पहले तालिबान ने कहा था कि वह केवल अमेरिका के साथ सीधी बातचीत करेगा, न कि काबुल सरकार के साथ, जिसे उन्होंने मान्यता नहीं दी थी।
  - अमेरिका ने प्रक्रिया से अफगान सरकार को अलग रखते हुए इस मांग को प्रभावी ढंग से स्वीकार कर लिया और विद्रोहियों के साथ सीधी बातचीत शुरू की।

अमेरिका की वापसी और क्षेत्रीय शक्तियाँ

- तालिबान: तालिबान अपने आप में एक प्रमुख चर बना हुआ है। यदि तालिबान सभी अफगानों के हितों को समायोजित नहीं करता है तो यह केवल अफगानिस्तान में गृह युद्ध के अगले दौर के लिये मंच तैयार करेगा।
  - तालिबान यह भी संकेत दे रहा है कि वह किसी और के लिये प्रॉक्सी नहीं बनेगा तथा स्वतंत्र नीतियों का पालन करेगा।
- चीन: अफगानिस्तान से अमेरिका की वापसी वर्तमान में चीन के इस दृढ़ विश्वास को पुष्ट करती है कि अमेरिका टर्मिनल गिरावट में है।
  - ऐसे समय में जब चीन अंतर्राष्ट्रीय शासन के पश्चिमी मॉडल के विकल्प की पेशकश कर रहा है तो अमेरिका की वापसी को चीन में एक महान वैचारिक जीत के रूप में देखा जाता है।
  - हालाँकि चीन के लिये शिनजियांग अलगाववादी समूहों को संभावित तालिबान समर्थन एक प्रमुख चिंता का विषय है।
- भारत: तालिबान से निपटने के लिये भारत के पास तीन महत्त्वपूर्ण क्षेत्र होंगे।
  - अफगानिस्तान में अपने निवेश की रक्षा करना, जो अरबों रुपए में चलता है;
  - भावी तालिबान शासन को पाकिस्तान का मोहरा बनने से रोकना;
  - यह सुनिश्चित करना कि पाकिस्तान समर्थित भारत विरोधी आतंकवादी समूहों को तालिबान का समर्थन न मिले।
- अन्य: कोई भी क्षेत्रीय देश तालिबान के तहत अफगानिस्तान को फिर से अंतर्राष्ट्रीय आतंक की नर्सरी बनते नहीं देखना चाहता।

- ईरान तालिबान के सुन्नी चरमपंथ और शिया एवं फारसी भाषायी अल्पसंख्यकों से निपटने में उसके दमनकारी रिकॉर्ड को नज़रअंदाज़ नहीं कर सकता।
- पाकिस्तान डूरंड रेखा के पूर्व में संघर्ष के फैलने और तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) जैसे शत्रुतापूर्ण समूहों के अफगानिस्तान में शरण लेने के खतरे को लेकर चिंतित है।

भारत का दृष्टिकोण

- अमेरिकी सेना की मौजूदगी से सुरक्षित अफगानिस्तान में लंबे समय से चली आ रही शांति का युग समाप्त हो गया है।
  - इसका मतलब होगा कि अफगानिस्तान के अंदर काम करने की भारत की क्षमता पर नई बाधाओं का का उत्पन्न होना।
- तीन संरचनात्मक स्थितियाँ भारत की अफगान नीति को आकार देती रहेंगी।
  - एक अफगानिस्तान तक भारत की प्रत्यक्ष भौतिक पहुँच का अभाव। यह भारत के प्रभावी क्षेत्रीय साझेदारों के महत्त्व को रेखांकित करता है।
  - पाकिस्तान, अफगानिस्तान में किसी भी सरकार को अस्थिर करने की क्षमता रखता है लेकिन उसके पास अफगानिस्तान में एक स्थिर और वैध व्यवस्था बनाने की शक्ति नहीं है।
  - अफगानिस्तान और पाकिस्तान के हितों के बीच अंतर्विरोध चिरस्थायी है।
    - पाकिस्तान अफगानिस्तान को एक रक्षक के रूप में बदलना पसंद करता है लेकिन अफगान अपनी स्वतंत्रता को बहुत महत्त्व देता है। तालिबान सहित सभी अफगान संप्रभु, पाकिस्तान को संतुलित करने के लिये भागीदारों की तलाश करेंगे।
- भारत को तालिबान सहित विभिन्न अफगान समूहों के साथ अपने जुड़ाव को तीव्र करने और बदलते अफगानिस्तान में अपने हितों को सुरक्षित करने के लिये प्रभावी क्षेत्रीय साझेदार खोजने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिये।

आगे की राह

- बहुपक्षीय संगठनों का उपयोग: शंघाई सहयोग संगठन (SCO) जैसे संगठनों का उपयोग अफगान समस्या से निपटने और स्थिरता प्राप्त करने में किया जाना चाहिये।
  - SCO की स्थिति, सदस्यता और क्षमता इसे अमेरिका के बाद अफगानिस्तान की चुनौतियों से निपटने के लिये एक महत्त्वपूर्ण मंच बनाती है।
- एशिया में शांति एवं स्थिरता के लिये एक स्वतंत्र, संप्रभु, लोकतांत्रिक, बहुलवादी और समावेशी अफगानिस्तान का होना आवश्यक है ।
  - इसे सुनिश्चित करने के लिये अफगान शांति प्रक्रिया अफगान-नेतृत्व वाली, अफगान-स्वामित्व वाली और अफगान-नियंत्रित होनी चाहिये (जैसा कि भारत की अफगान नीति में कहा गया है)।
- साथ ही वैश्विक समुदाय को आतंकवाद की वैश्विक चिंता के खिलाफ लड़ने की ज़रूरत है।
  - इस संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन (1996 में भारत द्वारा संयुक्त राष्ट्र में प्रस्तावित) को अपनाने का समय आ गया है।
- प्रशासन और सैन्य सुधार: उस क्षेत्र में अधिक उग्रवाद देखा जाता है जहाँ प्रशासन विफल रहता है। इस प्रकार उभरते तालिबान 2.0 के खतरे से निपटने के लिये अफगानिस्तान के भीतर प्रशासनिक और सैन्य सुधार समय की आवश्यकता है।

निष्कर्ष

- अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों के बाहर निकलने से इस क्षेत्र में तालिबान का उदय, भू-राजनीतिक प्रवाह में परिवर्तन जैसी अस्थिरता पैदा हो गई है।
- चूँकि ये कारक भारत को इस क्षेत्र में एक कठिन भू-राजनीतिक स्थिति में धकेल देंगे, इसलिये अफगानिस्तान में बदलती गतिशीलता से निपटने के लिये स्मार्ट स्टेटक्राफ्ट की आवश्यकता है।
- यदि भारत सक्रिय और धैर्यवान बना रहा तो नए अफगान में उसे अपनी भू राजनीतिक स्थिति मज़बूत करने के कई अवसर मिल सकते हैं।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

शैक्षिक तकनीक (Ed-Tech)

वर्तमान में भारत का स्कूली शिक्षा परिदृश्य कठिन चुनौतियों का सामना कर रहा है। क्रमिक ASER सर्वेक्षणों के अनुसार, कोविड-19 महामारी से पहले भी देश शिक्षा से संबंधित परेशानियों से जूझ रहा था।

महामारी इस संकट को और बढ़ा सकती है। महामारी के चलते विशेष रूप से 15.5 लाख स्कूल 1 वर्ष से अधिक समय से बंद हैं, जिसके चलते 248 मिलियन से अधिक छात्रों की शिक्षा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

इस शिक्षा के संकट के साथ चौथी औद्योगिक क्रांति के उद्भव ने शिक्षा की पुनर्कल्पना और इसे अभूतपूर्व तकनीकी परिवर्तन के साथ संरेखित करना अनिवार्य बना दिया है।

शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट सर्वेक्षण: (Annual Status of Education Report- ASER)

- शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट (Annual Status of Education Report-ASER) एक वार्षिक सर्वेक्षण है जिसका उद्देश्य भारत में प्रत्येक राज्य और ग्रामीण ज़िले के बच्चों की स्कूली शिक्षा की स्थिति और बुनियादी शिक्षा के स्तर का विश्वसनीय वार्षिक अनुमान प्रदान करना है।
- ASER सर्वेक्षण ग्रामीण शिक्षा एवं सीखने के परिणामों पर आधारित एक राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण है जिसमें पढ़ने एवं अंकगणितीय कौशल को शामिल किया गया है।
- इसे पिछले 15 वर्षों से एनजीओ 'प्रथम' (NGO Pratham) द्वारा आयोजित किया जा रहा है।

एड-टेक की आवश्यकता और अवसर

- एड-टेक के इच्छित लाभ: प्रौद्योगिकी में अविश्वसनीय क्षमता है और यह मानव को इच्छित लाभ देने में भी सक्षम है, जो इस प्रकार हैं:
  - शिक्षा के अधिक-से-अधिक निजीकरण को सक्षम करना।
  - सीखने की दर में सुधार करके शैक्षिक उत्पादकता में वृद्धि करना।
  - अवसंरचनात्मक सामग्री की लागत को कम करना और बड़े पैमाने पर सेवा प्रदान करना।
  - शिक्षकों/निर्देशकों के समय का बेहतर उपयोग करना।
- महामारी से प्रेरित आवश्यकता: महामारी के कारण शिक्षा में उत्पन्न हुई बाधा ने इसमें प्रौद्योगिकी को समाहित करने की आवश्यकता को एक महत्त्वपूर्ण आधार प्रदान किया है।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020: भारत की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 निर्देश के प्रत्येक स्तर पर प्रौद्योगिकी को एकीकृत करने का स्पष्ट आह्वान करती है।
  - यह स्वायत्त निकाय राष्ट्रीय शिक्षा प्रौद्योगिकी मंच (NETF) की स्थापना की परिकल्पना करता है, जो प्रौद्योगिकी के उपयोग और इसकी स्थापना की दिशा में प्रयासों का नेतृत्व करता है।
- एड-टेक का वादा: भारतीय एड-टेक इकोसिस्टम में नवाचार की काफी संभावनाएँ हैं। 4,500 से अधिक स्टार्ट-अप और लगभग 700 मिलियन डॉलर के मौजूदा मूल्यांकन के साथ यह बाज़ार तेज़ी से विकास कर रहा है। अनुमान है कि अगले 10 वर्षों में $ 30 बिलियन का आश्चर्यजनक बाज़ार देखने को मिल सकता है।
- सरकार द्वारा उठाए गए कदम: भारत डिजिटल इंडिया और दीक्षा (स्कूली शिक्षा के लिये डिजिटल अवसंरचना) जैसे प्रमुख कार्यक्रमों द्वारा संचालित तकनीक-आधारित बुनियादी ढाँचे, बिजली और सस्ती इंटरनेट कनेक्टिविटी तक पहुँच बढ़ाने के साथ इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिये तैयार है।

- तकनीक-सक्षम निगरानी और कार्यान्वयन हेतु भारत सरकार द्वारा आकांक्षी ज़िला कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है जो नागरिक जुड़ाव, भागीदारी और प्रभावी सेवा वितरण पर ज़ोर देता है।

एड-टेक में ज़मीनी स्तर पर नवाचार के कई उदाहरण उपलब्ध हैं:

- अरुणाचल प्रदेश के नामसाई ज़िले में हमारा विद्यालय कार्यक्रम तकनीक आधारित प्रदर्शन आकलन को बढ़ावा दे रहा है।
- असम का ऑनलाइन कॅरियर मार्गदर्शन पोर्टल कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों के लिये स्कूल से काम और उच्च शिक्षा ट्रांजिशन को मज़बूत कर रहा है।
- गुजरात में समर्थ नामक कार्यक्रम, आईआईएम-अहमदाबाद के सहयोग से लाखों शिक्षकों को ऑनलाइन पेशेवर विकास की सुविधा प्रदान कर रहा है;
- झारखंड का डिजीसाथ अभिभावक-शिक्षक-छात्र संबंध को मज़बूती से स्थापित करके व्यवहार परिवर्तन का नेतृत्व कर रहा है।
- हिमाचल प्रदेश की हर घर पाठशाला विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिये डिजिटल शिक्षा प्रदान कर रही है।
- उत्तराखंड का सामुदायिक रेडियो बाइट-आकार के प्रसारणों के माध्यम से प्रारंभिक पठन को बढ़ावा दे रहा है।
- मध्य प्रदेश का डिजी LEP कार्यक्रम सभी समूहों और माध्यमिक विद्यालयों को कवर करने वाले 50,000 से अधिक व्हाट्सएप समूहों के साथ एक अच्छी तरह से स्थापित तंत्र के माध्यम से सीखने की दर में वृद्धि के लिये सामग्री वितरित कर रहा है।
- केरल की अक्षरवृक्षम पहल खेल और गतिविधियों के माध्यम से सीखने और कौशल विकास का समर्थन करने के लिये डिजिटल "एजुटेनमेंट" पर ध्यान केंद्रित कर रही है।

एड-टेक के साथ जुड़े मुद्दे

- प्रौद्योगिकी तक पहुँच में कमी: प्रत्येक छात्र जो स्कूल जाने का खर्च नहीं उठा सकता है उसके पास ऑनलाइन कक्षाओं में भाग लेने के लिये फोन, कंप्यूटर या यहाँ तक कि एक गुणवत्तायुक्त इंटरनेट कनेक्शन होना दुर्लभ है।
  - वर्ष 2017-18 के राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के आँकड़ों के अनुसार, केवल 42 प्रतिशत शहरी और 15 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों के पास इंटरनेट की सुविधा थी।
  - ऐसे में एड-टेक पहले से मौजूद डिजिटल डिवाइड को बढ़ा सकता है।
- शिक्षा के अधिकार के विपरीत: प्रौद्योगिकी सभी के लिये सस्ती नहीं है और पूरी तरह से ऑनलाइन शिक्षा की ओर बढ़ना उन लोगों के शिक्षा के अधिकार को छीनने जैसा है जो प्रौद्योगिकी के उपयोग में सक्षम नहीं हैं।
  - इसके अलावा शिक्षा के डिजिटलीकरण की बात करने वाली राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भी शिक्षा के अधिकार के विपरीत है।

आगे की राह

- व्यापक एड-टेक नीति: एक व्यापक एड-टेक नीति संरचना में चार प्रमुख तत्त्वों पर ध्यान दिया जाना चाहिये-
  - विशेष रूप से वंचित समूहों तक शिक्षा की पहुँच प्रदान करना।
  - शिक्षण, सीखने और मूल्यांकन की प्रक्रियाओं को सक्षम बनाना।
  - शिक्षक प्रशिक्षण और निरंतर व्यावसायिक विकास की सुविधा।
  - योजना, प्रबंधन और निगरानी प्रक्रियाओं सहित शासन प्रणाली में सुधार करना।
- प्रौद्योगिकी एक उपकरण है, रामबाण नहीं: सार्वजनिक शिक्षण संस्थान सामाजिक समावेश और सापेक्ष समानता में अनुकरणीय भूमिका निभाते हैं।
  - यह वह स्थान है जहाँ सभी लिंगों, वर्गों, जातियों और समुदायों के लोग मिल सकते हैं और यहाँ किसी एक समूह को दूसरों के सामने झुकने के लिये मजबूर नहीं किया जा सकता है।
  - इसलिये प्रौद्योगिकी स्कूलों का प्रतिस्थापन या शिक्षकों का स्थान नहीं ले सकती है। इस प्रकार यह "शिक्षक बनाम प्रौद्योगिकी" नहीं बल्कि "शिक्षक और प्रौद्योगिकी" होना चाहिये।
- एड-टेक के लिये बुनियादी ढाँचा प्रदान करना: तत्काल अवधि में एड-टेक परिदृश्य (विशेष रूप से उनके पैमाने, पहुँच और प्रभाव) को लागू करने के लिये एक सुव्यवस्थित तंत्र होना चाहिये।

- शिक्षकों और छात्रों के लिये पहुँच, इक्विटी, बुनियादी ढाँचे, शासन और गुणवत्ता से संबंधित परिणामों व चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिये।
- डिजिटल डिवाइड को दो स्तरों - प्रौद्योगिकी का प्रभावी ढंग से उपयोग करने और इसके लाभों का लाभ उठाने के लिये पहुँच एवं कौशल को संबोधित करने पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये।

- क्रॉस-प्लेटफॉर्म एकीकरण: लघु से मध्यम अवधि में नीति निर्माण और योजना प्रक्रिया को विभिन्न परियोजनाओं (शिक्षा, कौशल, डिजिटल शासन तथा वित्त) के साथ अभिसरण द्वारा सक्षम करने का प्रयास किया जाना चाहिये।
  - सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से समाधानों के एकीकरण को बढ़ावा देने और सरकार के सभी स्तरों पर सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने की भी आवश्यकता है।
- सफलता के मॉडल को दोहराना: लंबी अवधि में जैसे-जैसे नीति स्थानीय स्तर पर अभ्यास में बदल जाती है और प्रौद्योगिकी-आधारित समाधान सर्वव्यापी हो जाते हैं, उसी के साथ ही इस प्रकार की सफलताओं के मॉडल को अपनाकर सर्वोत्तम-इन-क्लास प्रौद्योगिकी समाधानों का भंडार, अच्छी प्रथाओं और सफल कार्यान्वयन को सुनिश्चित किया जाना चाहिये।
  - नीति आयोग का इंडिया नॉलेज हब और शिक्षा मंत्रालय का DIKSHA तथा ShaGun प्लेटफॉर्म इस तरह की शिक्षा को सुविधाजनक बनाने के साथ-साथ बढ़ा सकते हैं।

निष्कर्ष

एक समग्र रणनीति से Ed-Tech के सफल अनुप्रयोग तक की यात्रा निस्संदेह लंबी होगी। इसके लिये सावधानीपूर्वक योजना बनाने, निरंतर कार्यान्वयन और परिकलित पाठ्यक्रम सुधार की आवश्यकता है। NEP 2020 के साथ आगे बढ़ने हेतु शिक्षा को प्रभावी ढंग से अधिकतम छात्रों तक पहुँचाने के लिये एक परिवर्तनकारी एड-टेक नीति समय की आवश्यकता है।

स्पेसकॉम

पिछले कुछ महीनों के दौरान भारत में उपग्रह संचार के प्रति रुचि में अचानक वृद्धि हुई है। हाल ही में कुछ दूरसंचार कंपनियों ने 27.5 गीगाहर्ट्ज़ - 29.5 गीगाहर्ट्ज़ आवृत्ति में हिस्सा मांगा, इस आवृति को विश्व स्तर पर अंतरिक्ष संचार (स्पेसकॉम) के लिये निर्धारित किया गया है।

अंतरिक्ष संचार एक इलेक्ट्रॉनिक संचार पैकेज है जिसे पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य संचार के क्षेत्र में अंतरिक्ष के माध्यम से पहल करना या सहायता करना है। इसने अंतर्राष्ट्रीय संचार के प्रतिरूप में एक बड़ा योगदान दिया है।

वैश्विक कंपनियाँ व्यवसायों, सरकारों, स्कूलों और व्यक्तियों के लिये सस्ती हाई-स्पीड इंटरनेट सेवाएँ प्रदान करने हेतु सैकड़ों या हज़ारों उपग्रहों के माध्यम से एक "मेगा-नक्षत्र" बनाने और तैनात करने का प्रयास कर रही हैं।

स्पेसकॉम की क्षमता को समझते हुए भारत सरकार ने स्पेसकॉम पॉलिसी 2020 का ड्राफ्ट जारी किया। हालाँकि अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की प्रभावशाली उपलब्धियों के बावजूद विकास अत्यंत धीमी गति से हो रहा है।

स्पेसकॉम के लाभ

- निर्बाध कनेक्टिविटी: उपग्रह के माध्यम से लगभग सभी भौगोलिक क्षेत्रों तक संचार संभव हो जाता है, मुख्य रूप से कम आबादी वाले क्षेत्रों तक।
  - वायरलेस और मोबाइल संचार अनुप्रयोगों को उपग्रह संचार द्वारा आसानी से स्थापित किया जा सकता है।
- लागत लाभ: उपग्रह ब्रॉडबैंड तत्काल सेवा प्रदान करता है। घरों में मशीन-से-मशीन और IoT सहित व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में संकेत प्रेषित करने के लिये उपग्रह ब्रॉडबैंड के लिये केबल बिछाने की आवश्यकता नहीं होती है।
  - स्पेस इंडिया 2.0 नामक एक रिपोर्ट के अनुसार, अंतरिक्ष में एक वर्ग किमी. को कवर करने की लागत $1.5 और $6 के बीच होती है, जबकि उतने ही क्षेत्र को कवर करने के लिये भूमिगत बुनियादी ढाँचे के लिये आवश्यक लागत $3,000 से $30,000 के बीच होती है।
- संबद्ध क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास: इसका उपयोग वैश्विक मोबाइल संचार, निजी व्यापार नेटवर्क, लंबी दूरी के टेलीफोन प्रसारण, मौसम की भविष्यवाणी, रेडियो/टीवी सिग्नल प्रसारण, सेना में खुफिया जानकारी एकत्र करने, जहाज़ों और वायुयान के नेविगेशन, दूरदराज़ के क्षेत्रों को जोड़ने और वहाँ टेलीविज़न सिग्नल के वितरण आदि जैसे विभिन्न प्रकार के अनुप्रयोगों में किया जाता है।

- परिनियोजित करने में आसान: आपदाग्रस्त परिस्थितियों के दौरान प्रत्येक अर्थ स्टेशन को किसी स्थान से अपेक्षाकृत तेज़ी से हटाया जा सकता है और पुन: कहीं अन्य स्थापित किया जा सकता है।

संबद्ध चुनौतियाँ

- पारंपरिक प्रौद्योगिकी: दुनिया भर में उच्च प्रवाह क्षमता के उपग्रहों के प्रसार के बावजूद भारत अभी भी पारंपरिक उपग्रहों का उपयोग कर रहा है।
  - भारत में पारंपरिक उपग्रह प्रौद्योगिकी का उपयोग उपग्रह ब्रॉडबैंड को व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य नहीं बनाता है।
- प्रोत्साहन की कमी: 'मेक इन इंडिया' मिशन के बावजूद अंतरिक्ष बुनियादी ढाँचे के निर्माण के लिये घरेलू भागीदारी की कमी है।
- अतिभारित इसरो: इसरो अपने नियमित संचालन जैसे- उपग्रहों का प्रक्षेपण, प्रक्षेपण वाहनों का निर्माण आदि के भार से ग्रसित है जो नई परियोजनाओं में काम करने के लिये इसरो के रास्ते में बाधा बन रहे हैं।
- निम्न प्रोफ़ाइल: इसरो के अध्ययन के अनुसार, भारत के पास वर्तमान में $360 बिलियन के वैश्विक अंतरिक्ष बाज़ार में केवल 3 प्रतिशत की हिस्सेदारी है।
  - भारत में सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवाएँ मुख्य रूप से बी2बी क्षेत्र के लिये बनी हैं, जिनका बाज़ार आकार लगभग 100 मिलियन डॉलर है।

आगे की राह

- निजीकरण: उन्नत अंतरिक्ष तकनीक वाले देशों ने मूल्य श्रृंखला में अधिकांश स्पेसकॉम ब्लॉकों का निजीकरण कर दिया है।
  - स्पेसकॉम विशेषज्ञों का अनुमान है कि आगामी 'ओपन स्पेस' के साथ उपग्रह ब्रॉडबैंड सेवाओं का बाज़ार $500 मिलियन से अधिक का हो सकता है।
  - इस प्रकार इन उद्योगों को पोषित करने और एक व्यापक पारिस्थितिकी तंत्र बनाने में मदद के लिये उपयुक्त सिस्टम बनाने की आवश्यकता है।
- प्रौद्योगिकियों के दुरुपयोग को रोकना: इस क्षेत्र से जुड़ी चिंता यह सुनिश्चित करना है कि इस उच्च तकनीक को गलत हाथों में जाने से रोका जा सके।
  - सरकार को अंतरिक्ष क्षेत्र के वाणिज्यिक और रणनीतिक दोनों क्षेत्रों में निजी खिलाड़ियों के संचालन के संबंध में कानून बनाना चाहिये ताकि प्रौद्योगिकी का दुरुपयोग न हो सके।
- कक्षीय संसाधनों का विवेकपूर्ण आवंटन: भारत के अंतरिक्ष संसाधनों का आवंटन यहाँ की जनता के मध्य उचित और गैर-मनमाने तरीके से किया जाना चाहिये तथा इसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 के तहत विधि द्वारा तैयार किया जाना चाहिये।
  - भारत को पर्याप्त स्पेक्ट्रम आवंटन, व्यापार करने में आसानी, आवश्यक क्षमता निर्माण आदि के साथ अनुकूल नियम और नीति की आवश्यकता है।
- सिंगल विंडो क्लीयरेंस सिस्टम: इस क्षेत्र से संबंधित हितधारक मंत्रालयों की शक्तियों और कार्यों को एक ही निकाय में समेकित किये जाने की आवश्यकता है।
  - यह स्पेसकॉम परिसंपत्तियों के परिनियोजन और संचालन के लिये सभी अनुप्रयोगों को अधिकृत करेगा तथा निष्पक्ष, गैर-मनमाना, पूर्वानुमेय व समयबद्ध निर्णय के लिये आश्वासन प्रदान करेगा।

निष्कर्ष

सही नीतिगत हस्तक्षेप के साथ स्पेसकॉम के पास सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि में एक बड़े हिस्से का योगदान करने की जबरदस्त संभावना है। इसके अलावा यह अधिक नवाचार, अनुसंधान एवं विकास, रोज़गार, निवेश और कनेक्टिविटी के द्वार खोलने में भी सक्षम है।

भूगोल एवं आपदा प्रबंधन

मानसून परिवर्तन और कृषि

भारत की जलवायु की सबसे महत्त्वपूर्ण विशेषता दक्षिण-पश्चिम मानसून है क्योंकि यह भारतीय कृषि के लिये बहुत महत्त्वपूर्ण है। इसलिये दक्षिण-पश्चिम मानसून के दीर्घकालिक रुझान आर्थिक सुरक्षा के साथ ओवरलैप होते हैं।

30 वर्ष की अवधि (1989-2018) के दौरान मानसून परिवर्तनशीलता पर IMD द्वारा हाल ही में किया गया एक अध्ययन सामने आया है जिसके अनुसार उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल ऐसे 5 राज्यों में से तीन राज्य हैं जिन्होंने दक्षिण-पश्चिम मानसून में उल्लेखनीय कमी देखी है। इन राज्यों का भारत के कृषि उत्पादन पर बहुत प्रभाव पड़ता है।

भारत की लगभग 55% कृषि योग्य भूमि वर्षा पर निर्भर है। वर्तमान मानसून के मौसम के दौरान वर्षा की मात्रा कृषि क्षेत्र और इससे जुड़े उद्योगों से संबंधित आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित कर सकती है।

मानसून में बदलाव भारत की अर्थव्यवस्था, खाद्य प्रणालियों और जनहित से संबंधित गंभीर परिणाम दे सकता है। इसलिये परिस्थितियों के हाथ से निकल जाने से पहले उपचारात्मक उपाय किये जाने की आवश्यकता है।

मानसून से तात्पर्य

- ध्यातव्य है कि यह अरबी शब्द मौसिम से निकला हुआ शब्द है, जिसका अर्थ होता है हवाओं का मिज़ाज।
- शीत ऋतु में हवाएँ उत्तर-पूर्व से दक्षिण-पश्चिम दिशा की ओर बहती हैं जिसे शीत ऋतु का मानसून कहा जाता है। उधर ग्रीष्म ऋतु में हवाएँ इसके विपरीत दिशा में बहती हैं, जिसे दक्षिण-पश्चिम मानसून या गर्मी का मानसून कहा जाता है।
- चूँकि पूर्व के समय में इन हवाओं से व्यापारियों को नौकायन में सहायता मिलती थी, इसीलिये इन्हें व्यापारिक हवाएँ या 'ट्रेड विंड' भी कहा जाता है।

भारत में मानसून:

- भारत की जलवायु को 'मानसून' प्रकार के रूप में वर्णित किया गया है। एशिया में इस प्रकार की जलवायु मुख्य रूप से दक्षिण और दक्षिण-पूर्व में पाई जाती है।
- भारत के कुल 4 मौसमी भागों में से मानसून 2 भागों में व्याप्त है, अर्थात्:
  - दक्षिण-पश्चिम मानसून का मौसम - दक्षिण-पश्चिम मानसून से प्राप्त वर्षा मौसमी है, जो जून और सितंबर के मध्य होती है।
  - मानसून का निवर्तन- अक्तूबर और नवंबर माह को मानसून की वापसी या मानसून के निवर्तन के लिये जाना जाता है।

मानसून और कृषि का संबंध

- दक्षिण-पश्चिम मानसून भारत की कृषि में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है और यह विश्व की अधिकांश जनसंख्या की आजीविका को प्रभावित करता है।
- भारत में वार्षिक वर्षा की लगभग 80 प्रतिशत गर्मी की अवधि के दौरान होती है तथा प्रमुख कृषि मौसम के दौरान फसलों को सिंचाई आदि माध्यमों से जल की आपूर्ति की जाती है।
- दक्षिण-पश्चिम मानसून के दौरान गन्ना, जूट और धान जैसी जल की अधिक आवश्यकता वाली मानसून के अनुकूल फसलों की खेती आसानी से की जा सकती है।
- भारत में कृषि क्षेत्र आर्थिक और राजनीतिक दोनों रूप से महत्त्वपूर्ण है। यह क्षेत्र देश की 2.7 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का लगभग 14% और कुल रोज़गार का 42% है।
- इसके अलावा भारत के विनिर्माण उत्पादन का लगभग एक-तिहाई; जो कि देश के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 18% है, खाद्य प्रसंस्करण से जुड़ा हुआ है।
- इसलिये बहुत अधिक वर्षा या बहुत कम या अस्थिर मानसून पैटर्न, फसलों को नुकसान पहुँचा सकता है।

बदलते मानसून का प्रभाव

- जल स्तर का ह्रास: भारत में इसके कुल फसल क्षेत्र का 50% से थोड़ा अधिक भाग वर्षा के अधीन है और सिंचित क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा बोरवेल के माध्यम से सिंचाई पर निर्भर करता है, जिसे भूजल के साथ रिचार्ज करने की आवश्यकता होती है।
    - खराब मानसून की स्थिति में यह भू जल स्रोत पर्याप्त रूप से रिचार्ज नहीं होते हैं जिससे जलसंकट उत्पन्न हो सकता है।
    - इसके अलावा NITI Aayog द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट में वर्ष 2020 तक लगभग 21 भारतीय शहरों (जिनमें नई दिल्ली, हैदराबाद और चेन्नई) में भूजल के शून्य होने की संभावना जताई गई थी।
- वित्तीय बोझ: कई फसलों के खराब होने पर सरकार को सक्रिय रूप से किसानों का समर्थन करने की आवश्यकता हो सकती है। सबसे अधिक संभावना इस बात की है कि यह सरकार को किसानों की आय का समर्थन करने हेतु मौजूदा सीज़न की सभी फसलों के लिये न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने हेतु प्रेरित कर सकता है।
    - इससे कृषि निवेश में कमी आ सकती है।
- बिजली उत्पादन को प्रभावित करना: मानसून की वर्षा से प्राप्त जल का उपयोग एक मूल्यवान ऊर्जा संसाधन जलविद्युत के रूप में किया जा सकता है। जलविद्युत वर्तमान में भारत की कुल विद्युत आपूर्ति का 25% हिस्सा प्रदान करती है।
    - जलाशयों को दक्षिण-पश्चिम मानसून की बारिश के दौरान भर दिया जाता है और फिर बाँधों के माध्यम से इस जल को धीरे-धीरे छोड़ा जाता है, जिससे साल भर विद्युत उत्पन्न होती रहती है।
    - जब मानसूनी वर्षा कम होती है तो जलाशयों में पर्याप्त जल का भंडारण नहीं हो पाता है, जिससे जल द्वारा उत्पादित पनबिजली की मात्रा सीमित हो जाती है।
- मुद्रास्फीति को प्रभावित करना: सामान्य मानसून की वर्षा खाद्य उत्पादों की उपलब्धता के कारण खाद्य मुद्रास्फीति पर नियंत्रण रखती है। हालाँकि सूखे की स्थिति में खाद्य उत्पादों से संबंधित कीमतें काफी बढ़ जाती हैं।
    - इसके अलावा यदि खराब मानसून के परिणामस्वरूप कम फसल उत्पादन होता है तो देश को खाद्यान्न आयात करने की आवश्यकता भी हो सकती है।
    - यह एक दर्जन से अधिक क्षेत्रों को भी प्रभावित करता है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मानसून पर निर्भर करते हैं।

आगे की राह

- जल की कमी को दूर करना: जल की उपलब्धता एक राष्ट्रीय चुनौती है। हमारे पास दुनिया की 18% आबादी है और केवल 4% मीठे पानी के संसाधन हैं।
    - इस प्रकार भारत सरकार को कृषि क्षेत्र के लिये बेहतर जल भंडारण प्रणालियों में भारी निवेश को उच्च प्राथमिकता देने की आवश्यकता है।
    - "प्रति बूंद अधिक फसल" दृष्टिकोण वर्षा जल संचयन, जल पुनर्भरण, जल निकायों के पुनरुद्धार और संरक्षण प्रौद्योगिकियों को उच्च प्राथमिकता देना सार्थक होगा।
- अकुशल जल उपयोग को संबोधित करना: भारत में जल के उपयोग के पैटर्न बेहद अक्षम हैं। यहाँ भारतीय किसान किसी भी प्रमुख खाद्य फसल की एक इकाई का उत्पादन करने के लिये दो से चार गुना अधिक पानी का उपयोग करते हैं।
    - इस प्रकार भारतीय कृषि को नई और कम जल-गहन प्रौद्योगिकियों को तेज़ी से अपनाने की आवश्यकता है।
    - इसके लिये भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं जैसे- सूक्ष्म सिंचाई उपायों के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिये प्रयासों को दोगुना करने की आवश्यकता है। ये योजनाएँ पानी का अधिक कुशलता से उपयोग करने हेतु प्रोत्साहित करती हैं।

निष्कर्ष

वैश्विक जलवायु परिवर्तन कोई नई घटना नहीं है। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से कई खतरे पैदा हुए हैं। इसके महत्त्वपूर्ण परिणामों में से एक दक्षिण-पश्चिम मानसून में परिवर्तन और कृषि पर इसका प्रभाव है।

जैसा कि भारत ने वर्ष 2050 तक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को आधा करने का लक्ष्य रखा है। इसे ध्यान में रखते हुए कृषि, वन, पशुपालन, जलीय जंतु और अन्य जीवों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का आकलन करने के लिये अनुसंधान को मज़बूत करने हेतु समन्वित प्रयासों की तत्काल आवश्यकता है।

सामाजिक न्याय

भारत में दहेज प्रथा

दहेज एक सामाजिक बुराई है जिसके कारण समाज में महिलाओं के प्रति अकल्पनीय यातनाएँ और अपराध उत्पन्न हुए हैं तथा भारतीय वैवाहिक व्यवस्था प्रदूषित हुई है। दहेज शादी के समय दुल्हन के ससुराल वालों को लड़की के परिवार द्वारा नकद या वस्तु के रूप में किया जाने वाला भुगतान है।

आज सरकार न केवल दहेज प्रथा को मिटाने के लिये बल्कि बालिकाओं की स्थिति के उत्थान के लिये कई कानून (दहेज निषेध अधिनियम 1961) और योजनाओं द्वारा सुधार हेतु प्रयासरत है।

हालाँकि इस समस्या की सामाजिक प्रकृति के कारण यह कानून हमारे समाज में वांछित परिणाम देने में विफल रहा है।

इस समस्या से छुटकारा पाने में लोगों की सामाजिक और नैतिक चेतना को प्रभावी बनाना, महिलाओं को शिक्षा तथा आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान करना एवं दहेज प्रथा के खिलाफ कानून को प्रभावी ढंग से लागू करना मददगार हो सकता है।

दहेज प्रथा का प्रभाव

- लैंगिक भेदभाव: दहेज प्रथा के कारण कई बार यह देखा गया है कि महिलाओं को एक दायित्व के रूप में देखा जाता है और उन्हें अक्सर अधीनता हेतु विवश किया जाता है तथा उन्हें शिक्षा या अन्य सुविधाओं के संबंध में दोयम दर्जे की सुविधाएँ दी जाती हैं।
- महिलाओं के कॅरियर को प्रभावित करना: दहेज प्रथा के लिये कार्यबल में महिलाओं की खराब उपस्थिति और इसके परिणामस्वरूप वित्तीय स्वतंत्रता की कमी एक बड़ा कारक है।
  - समाज के गरीब तबके प्राय: दहेज में मदद के लिये अपनी बेटियों को काम पर भेजते हैं ताकि वे कुछ पैसे कमा सकें।
  - मध्यम और उच्च वर्ग के परिवार अपनी बेटियों को नियमित रूप से स्कूल तो भेजते हैं लेकिन कॅरियर विकल्पों पर ज़ोर नहीं देते।
- कई महिलाएँ अविवाहित रह जाती हैं: देश में लड़कियों की एक बेशुमार संख्या शिक्षित और पेशेवर रूप से सक्षम होने के बावजूद अविवाहित रह जाती है क्योंकि उनके माता-पिता विवाह पूर्व दहेज की मांग को पूरा करने में सक्षम नहीं हैं।
- महिलाओं का वस्तुकरण: समकालीन दहेज दुल्हन के परिवार द्वारा शक्तिशाली संबंध और पैसा बनाने के अवसरों हेतु एक निवेश की तरह है।
  - यह महिलाओं को केवल वाणिज्य के लेख (articles of commerce) के रूप में प्रस्तुत करता है।
- महिलाओं के विरुद्ध अपराध: कुछ मामलों में दहेज प्रथा महिलाओं के खिलाफ अपराध को जन्म देती है, इसमें भावनात्मक शोषण और चोट से लेकर मौत तक शामिल है।

आगे की राह

- सामाजिक समस्या के राजनीतिक समाधान की सीमाओं को पहचानना: जनता के पूर्ण सहयोग के बिना कोई भी कानून लागू नहीं किया जा सकता है।
  - नि:संदेह किसी कानून का निर्माण व्यवहार का एक पैटर्न निर्धारित करता है, सामाजिक विवेक को सक्रिय करता है और अपराधों को समाप्त करने में समाज सुधारकों के प्रयासों को सहायता प्रदान करता है।
  - हालाँकि दहेज जैसी सामाजिक बुराई तब तक मिट नहीं सकती जब तक कि लोग कानून के साथ सहयोग न करें।
- बालिकाओं को शिक्षित करना: शिक्षा और स्वतंत्रता एक शक्तिशाली एवं मूल्यवान उपहार है जो माता-पिता अपनी बेटी को दे सकते हैं।
  - यह बदले में उसे आर्थिक रूप से मज़बूत होने और परिवार में योगदान देने वाले एक सदस्य बनने में मदद करेगा, जिससे परिवार में सम्मान के साथ उसकी स्थिति भी सुदृढ़ होगी।
  - इसलिये बेटियों को अच्छी शिक्षा प्रदान करना और उन्हें अपनी पसंद का कॅरियर बनाने के लिये प्रोत्साहित करना सबसे अच्छा दहेज है जो कोई भी माता-पिता अपनी बेटी को दे सकते हैं।

- दहेज एक सामाजिक कलंक: दहेज को स्वीकार करना एक सामाजिक कलंक बना दिया जाना चाहिये और सभी पीढ़ियों को इसके लिये प्रेरित किया जाना चाहिये। इसके लिये दहेज प्रथा के दुष्परिणामों के प्रति सामाजिक चेतना जगाने की ज़रूरत है। इस संदर्भ में:
    - केंद्र और राज्य सरकारों को लोक अदालतों, रेडियो प्रसारणों, टेलीविज़न और समाचार पत्रों के माध्यम से 'निरंतर' लोगों के बीच 'दहेज-विरोधी साक्षरता' को बढ़ाने के लिये प्रभावी कदम उठाया जाना चाहिये।
    - दहेज प्रथा के खतरे से प्रभावी ढंग से निपटने के लिये युवा आशा की एकमात्र किरण हैं। उन्हें जागरूक करने और उनके दृष्टिकोण को व्यापक बनाने के लिये उन्हें नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिये।
- बहु हितधारक दृष्टिकोण: दहेज एकमात्र समस्या नहीं है बल्कि इसके लिये कई कारक उत्तरदायी हैं, अत: समाज को लैंगिक समानता के लिये हरसंभव कदम उठाना चाहिये। इस संदर्भ में:
    - लैंगिक असमानता को दूर करने के लिये राज्यों को जन्म, प्रारंभिक बचपन, शिक्षा, पोषण, आजीविका, स्वास्थ्य देखभाल तक पहुँच आदि से संबंधित डेटा देखना चाहिये और उसके अनुसार रणनीति बनानी चाहिये।
    - बाल संरक्षण और सुरक्षित सार्वजनिक परिवहन का विस्तार करने, काम में भेदभाव को कम करने और कार्यस्थल के अनुकूल वातावरण बनाने की आवश्यकता है।
    - घर पर पुरुषों को घरेलू काम और देखभाल की ज़िम्मेदारियों को साझा करना चाहिये।

निष्कर्ष

दहेज प्रथा न केवल अवैध है बल्कि अनैतिक भी है। इसलिये दहेज प्रथा की बुराइयों के प्रति समाज की अंतरात्मा को पूरी तरह से जगाने की ज़रूरत है ताकि समाज में दहेज की मांग करने वालों की प्रतिष्ठा कम हो जाए।

युवाओं की क्षमता का दोहन

भारत में 62% से अधिक जनसंख्या की आयु 15 से 59 वर्ष के बीच है तथा जनसंख्या की औसत आयु 30 वर्ष से कम है। इसका तात्पर्य यह है कि भारत जनसंख्या की आयु संरचना के आधार पर आर्थिक विकास की क्षमता का प्रतिनिधित्व करने वाले 'जनसांख्यिकीय लाभांश' के चरण से गुज़र रहा है।

हालाँकि इस क्षमता को वास्तविकता में बदलने के लिये किशोरों और युवाओं को स्वस्थ एवं सुशिक्षित होना आवश्यक है।

संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (UNFPA) द्वारा भारत में जनसांख्यिकीय लाभांश पर एक अध्ययन में कहा गया है कि भारत में जनसांख्यिकीय लाभांश का अवसर वर्ष 2005-06 से वर्ष 2055-56 तक 5 दशकों के लिये उपलब्ध है।

इसलिये 'जनसंख्या विस्फोट' की आशंका से अधिक यह महत्त्वपूर्ण है कि भारत युवा जनसंख्या की स्वास्थ्य सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करे क्योंकि भारत का कल्याण इसी पर निर्भर है।

जनसांख्यिकीय लाभांश: परिभाषा

संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (UNFPA) के अनुसार, जनसांख्यिकीय लाभांश का अर्थ है, "आर्थिक विकास क्षमता जो जनसंख्या की आयु संरचना में बदलाव के परिणामस्वरूप प्राप्त हो सकती है, मुख्यत: जब कार्यशील उम्र की आबादी (15 से 64 वर्ष) का हिस्सा गैर-कार्यशील उम्र (14 और उससे कम, तथा 65 एवं उससे अधिक) की आबादी से बड़ा हो "।

युवा क्षमता को साकार करने की चुनौती

- शिक्षा और कौशल की कमी: भारत की अल्प-वित्तपोषित शिक्षा प्रणाली युवाओं को उभरते रोज़गार के अवसरों का लाभ उठाने हेतु आवश्यक कौशल प्रदान करने के लिये अपर्याप्त है।
    - विश्व बैंक के अनुसार, शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय वर्ष 2020 में सकल घरेलू उत्पाद का केवल 3.4% था।
    - एक अन्य रिपोर्ट से पता चला है कि प्रति छात्र सार्वजनिक व्यय के मामले में भारत 62वें स्थान पर है और छात्र-शिक्षक अनुपात एवं शिक्षा उपायों की गुणवत्ता में इसका प्रदर्शन खराब रहा है।
- महामारी का प्रभाव: विभिन्न अध्ययनों से पता चलता है कि स्कूल बंद होने से बच्चों की शिक्षा, जीवन और मानसिक कल्याण पर गंभीर प्रभाव पड़ता है।

नोट :

- अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के एक सर्वेक्षण से पता चलता है कि दुनिया भर में महामारी के दौरान 65% किशोरों की शिक्षा में कमी आई है।
- युवा महिलाओं के मुद्दे: बाल विवाह, लिंग आधारित हिंसा, दुर्व्यवहार और तस्करी के प्रति उनकी संवेदनशीलता, खासकर यदि प्राथमिक देखभाल करने वाले बीमार पड़ जाते हैं या मर जाते हैं जैसे मुद्दे युवा महिलाओं को उनकी पूरी क्षमता हासिल करने से रोकते हैं।
- रोज़गार विहीन विकास: भारत के सकल घरेलू उत्पाद में मुख्य योगदानकर्त्ता सेवा क्षेत्र है जो श्रम प्रधान नहीं है और इस प्रकार यह रोज़गार विहीन विकास को बढावा देता है।
  - इसके अलावा भारत की लगभग 50% आबादी अभी भी कृषि पर निर्भर है जो कि अल्प-रोज़गारऔर प्रच्छन्न बेरोज़गारी के लिये बदनाम है।
- निम्न सामाजिक पूंजी: इसके अलावा उच्च स्तर की भुखमरी, कुपोषण, बच्चों में बौनापन, किशोरियों में रक्ताल्पता का उच्च स्तर, खराब स्वच्छता आदि ने भारत के युवाओं की क्षमता को साकार करने में बाधा पहुँचाई है।

आगे की राह

- अंतर-क्षेत्रीय सहयोग: युवा पीढ़ी के भविष्य की सुरक्षा के लिये बेहतर अंतर-क्षेत्रीय सहयोग के लिये एक तंत्र का होना अनिवार्य है। विभागों के बीच समन्वय किसी भी संकट से निपटने के लिये बेहतर समाधान और अधिक क्षमता को सक्षम कर सकता है।
  - उदाहरणत: मध्याह्न भोजन योजना न केवल माता-पिता को अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिये प्रोत्साहन प्रदान करती है बल्कि कक्षा में सतर्क रहने के लिये आवश्यक कैलोरी की मात्रा भी प्रदान करती है।
- युवा आबादी की रोज़गार क्षमता बढ़ाने के लिये कौशल विकास: भारत की श्रम शक्ति को आधुनिक अर्थव्यवस्था के लिये सही कौशल के साथ सशक्त बनाने की आवश्यकता है।
  - सरकार ने वर्ष 2022 तक भारत में 500 मिलियन लोगों को कौशल युक्त करने के समग्र लक्ष्य के साथ राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) की स्थापना की है।
- सामाजिक बुनियादी ढाँचे में सुधार: यदि भारत अपने युवा उभार की आर्थिक क्षमता का लाभ उठाना चाहता है तो उसे सामाजिक बुनियादी ढाँचे जैसे- अच्छा स्वास्थ्य, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में सुधार करने के लिये निवेश करना चाहिये और पूरी आबादी को अच्छा रोज़गार प्रदान करने का प्रयास करना चाहिये।
- बुनियादी स्वच्छता को बनाए रखना: चूँकि स्कूल बंद होने से मासिक धर्म संबंधी स्वच्छता उत्पादों की किशोरों तक पहुँच जैसी योजनाएँ प्रभावित हुई हैं। बालिकाओं को सैनिटरी नैपकिन वितरित करने के लिये फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कार्यकर्त्ताओं को सहयोग करने हेतु शिक्षक स्वयंसेवकों के रूप में काम कर सकते हैं।
- युवाओं के लिये हेल्पलाइन: किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य को संबोधित करने के लिये स्वास्थ्य और शिक्षा मंत्रालयों को मौजूदा हेल्पलाइन के माध्यम से तथा उनके प्रजनन एवं यौन स्वास्थ्य के संबंध में महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत कर उन्हें सक्षम बनाया जाना चाहिये।
- महामारी के बाद तत्काल कदम: लंबे समय तक स्कूल बंद रहने के नुकसान के साथ बच्चों के माध्यम से महामारी के संचरण के जोखिम को संतुलित करना नीति निर्माताओं हेतु महत्त्वपूर्ण है।
- शिक्षकों और स्कूल के सहायक कर्मचारियों के टीकाकरण को प्राथमिकता देकर तथा एक विकेंद्रीकृत दृष्टिकोण के साथ स्कूलों को सुरक्षित और चरणबद्ध तरीके से खोला जा सकता है।

निष्कर्ष

मिशन मोड में युवाओं के जीवन में सुधार करने से उनका जीवन उन्नत होगा, साथ ही स्वस्थ और शिक्षित युवा वयस्कों के चलते भारत के भविष्य को सुरक्षित करने में योगदान भी प्राप्त होगा।

युवाओं के सशक्तीकरण की नीतियाँ और उनके प्रभावी कार्यान्वयन से जनसांख्यिकीय लाभांश, जो कि एक समय-सीमित अवसर है, भारत के लिये एक वरदान बन सके।